हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 जुलाई, 1998

खण्ड-2, अंक-1

अधिकृत विवरण

Sabha Secretariat LIBRARY

विषय सूची

मंगलवार, 21 जुलाई, 1998

	पृष्ठ संख्या
शपथ/प्रतिज्ञान	(2)1
शोक प्रस्ताव	(2)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)15
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)33
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)40
घोषणाएं—	(2)45
(क) अध्यक्ष द्वारा–	
(i) चेयर पर्सनज के नामों की सूची	
(ii) याचिका समिति	
(iii) सदस्य द्वारा त्याग-पत्र	
(ख) सचिव द्वारा—	(2)46
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	
कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट	(2)47
सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र	(2)50
विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना—	(2)53
(i) श्री भजन लाल, भूतपूर्व एम०एल०ए० (अब सांसद) के विरुद्ध	
(ii) इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता, सम्पादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध	(2)54

मूल्य : 117

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 21 जुलाई, 1998

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

शपथ/प्रतिज्ञान

Mr. Speaker : Hon,ble Members, I call upon Shri Kuldip Singh Bishnoi, a member who has returned in the Bye-Election from 79-Adampur Assembly Constituency of the Haryana Legislative Assembly held on 3rd June, 1998 to prescribe oath/affirmation of allegiance to the Constitution.

(At this stage Shri Kuldip Singh Bishnoi made the prescribed oath/ affirmation of allegiance to the Constitution.)

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन के उठने के बाद और इस अधिवेशन के आरम्भ होने तक हमारे बीच में से कई महानुभाव चले गए। मैं उनके लिए शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

Shri Ishwar Singh, former Speaker of Haryana Legislative Assembly

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Ishwar Singh, former Speaker of Haryana Legislative Assembly, on February 11,1998.

He was born on November 5, 1926. He obtained degree of B.A., L.T. He was elected to Haryana Legislative Assembly in 1968, 1972, 1982 and 1991. He remained Chairman of Haryana State Agricultural Marketing Board from 1969 to 1972 and Deputy Chairman of State Planning Board, Haryana from 1984 to 1987. He became Speaker of Haryana Legislative Assembly in 1991. He was associated with many educational institutions.

In his death, the State has lost an able administrator and a seasoned legislator. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Shri E.M.S. Namboodiripad, former Chief Minister of Kerala

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri E.M.S. Namboodiripad, former Chief Minister of Kerala on March 19,1998.

[श्री बंसी लाल]

He was born on June 14, 1909. He gave up his studies in college to join "Civil Disobedience Movement". He was a veteran freedom fighter and founder member of the Communist Party in Kerala. He remained Member of Madras Assembly during 1939-40. He was elected to Kerala Legislative Assembly in 1957, 1965, 1967, 1969 and 1976. He remained Chief Minister of Kerala during 1957-59 and again during 1967-69. He was an idealist and visionary and had authored many books.

In his death, the country has lost a great patriot, an able administrator and a seasoned politician. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Chaudhri Mohmmad Aslam Khan, former Member of Haryana Legislative Assembly

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Chaudhri Mohmmad Aslam Khan, former Member of Haryana Legislative Assembly, on January 23, 1998.

He was born on October 8, 1948. He obtained degree of B.A. (Hons.). He was elected to Haryana Legislative Assembly in 1987 and 1991. He remained Chairman of Haryana State Small Scale Industries & Export Corporation during 1991-1995 and of Haryana Housing Board during 1995-1998. He took keen interest in social service.

In his death, the State has lost an able administrator and a seasoned legislator.

His son, Ch. Akram Khan, who is an Hon'ble Member of this House, is sitting here. So I pray to God that, He may give power to overcome this grief to Ch. Akram Khan and his family.

This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Shri Harchand Singh, former Deputy Minister of Joint Punjab

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Harchand Singh, former Deputy Minister of Joint Punjab, on February 1, 1998.

He was born on May 6, 1916. He remained Member of Punjab Legislative Assembly during 1952-67 and 1972-77. He remained Deputy Minister in joint Punjab in 1956 and again during 1962-63. He was elected to Lok Sabha in 1992.

In his death, the country has lost an able administrator and a seasoned parliamentarian. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Master Nanhu Ram, former Member of Joint Punjab Legislative Assembly

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Master Nanhu Ram, former Member of Joint Punjab Legislative Assembly, on June 28, 1998.

He was born on January 1, 1911. He took part in freedom movement and was imprisoned. He remained Member of Joint Punjab Legislative Assembly during 1952-62. He was honoured with "Tamra Patra" by Government of India.

In his death, the country has lost a freedom fighter and a seasoned legislator. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Sardar Teja Singh Dardi, former Member of Joint Punjab Legislative Assembly

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Sardar Teja Singh Dardi, former Member of Joint Punjab Legislative Assembly, on April 27, 1998.

He was born on February 25, 1931. He remained Member of Punjab Legislative Assembly during 1962-67, 1968-73 and 1977-79. He was Member of Parliament from 1986 to 1989.

In his death, the country has lost a parliamentarian. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Kanwar Rani Jagdish Kaur, former Member of Joint Punjab Legislative Assembly

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Kanwar Rani Jagdish Kaur, former Member of Joint Punjab Legislative Assembly, on January 25, 1998.

She was born on May 24, 1919. She was elected to Joint Punjab Legislative Assembly in 1952. She took an active and keen interest in social service.

In her death, the country has lost an able legislator. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Shri Nikhil Chakravartty, a veteran journalist and Chairman, Prasar Bharati Board

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Nikhil Chakravartty, a veteran journalist and Chairman, Prasar Bharati Board, on June 27, 1998.

[श्री बंसी लाल]

He was born on November 3, 1913. He obtained the degree of M.A. As a journalist and social activist, he was associated with several organisations. He was special correspondent of People's War from 1944-46 and People's Age during 1946-48. He was co-founder Editor of Mainstream in 1962 and its Editor during 1967-92. He remained columnist of important newspapers. He was President of Editor's Guild of India during 1990-92. He was also a member of the National Integration Council and the Press Council of India. He visited several countries on journalistic assignments. In 1997, he was appointed Chairman of Prasar Bharati Board. He was an institutuion in itself.

In his death, the country has lost a crusader for clean public life, a role model for media persons and a social activist. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Shri Sushil Bali, a Journalist

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Sushil Bali, a Journalist on March 28, 1998.

He was born on January 29, 1941. He joined Press Trust of India in 1966 in Mumbai. He remained Bureau Chief of Press Trust of India from 1981 to 1993 at Chandigarh. He joined Television International at Chandigarh as Chief of Bureau in 1995. He was an eminent sports writer and remained Vice-President of Sports Journalist Federation of India. He also served as President of Chandigarh Press Club.

In his death, the country has lost an eminent journalist. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Captain Anil S. Dayal, a brave soldier

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Captain Anil S. Dayal, a brave soldier, on June 4, 1998.

He was born on November 2, 1970. After obtaining graduation degree, he joined the Indian Army. He laid down his life for the unity and integrity of the country while fighting valiantly in an encounter with militants in Kashmir Valley.

In his death, the country has lost a brave and courageous soldier. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Major Neeraj Malik, a brave soldier

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Major Neeraj Malik, a brave soldier, on April 20, 1998.

He was born on July 27, 1961. He was appointed as Second Lieutenant in 1982. He laid down his life for the unity and integrity of the country while fighting valiantly in an encounter with militants in Nagaland.

In his death, the country has lost a brave and courageous soldier. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Shri Vijay Ahuja, a brave soldier

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Vijay Ahuja, a brave soldier, on July 9, 1998.

He was born on December 7, 1967. He was appointed as Assistant Commandant in Border Security Force. He laid down his life for the unity and integrity of the country while fighting valiantly in an encounter with militants in Kashmir Valley.

In his death, the country has lost a brave and courageous soldier. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Shri Abhey Singh, a freedom fighter

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Abhey Singh, a freedom fighter, on March 22, 1998.

He was born on February 18,1918. He participated in "Quit India Movement" in 1942. He was imprisoned several times during the freedom movement. He did a lot of social service.

In his death, the country has lost an eminent freedom fighter. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Dr. Ganpati Chandra Gupta, former Vice-Chancellor of Kurukshetra University, Kurukshetra

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Dr. Ganpati Chandra Gupta, former Vice-Chancellor of Kurukshetra University, Kurukshetra on May 21, 1998.

He was born on December 6, 1928. He obtained degrees of M.A., Ph.D. and D. Litt. He started his career as a Lecturer. He was recipient of several national awards form the Government of Haryana, Punjab and Uttar Pradesh for his research work. He remained Vice-Chancellor of Himachal Pradesh University, Shimla from 1978 to 1980 and Kurukshetra University, Kurukshetra from 1982 to 1984. He wrote several books.

[श्री बंसी लाल]

In his death, the country has lost an able academician and administrator. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Shri Dharamvir Singh Dahiya, former Olympian

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Dharamvir Singh Dahiya, former Olympian, on June 28, 1998.

He was born on February 4, 1966. He took keen interest in sports from his childhood. He represented India in several international games and won many Gold Medals in Wrestling. He participated in Barcelona (Spain) Olympic games in 1992.

In his death, the country has lost an international player. This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Mecca Tragedy

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad and untimely demise of those devotees who lost their lives in a stampede in Mina near Mecca on April 9, 1998.

This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

Yamuna Boat Tragedy

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of those persons who died in a boat tragedy in Yamuna river near Faridabad on June 13, 1998.

This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

Kalka Tragedy

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad and untimely demise of those persons who drowned in the flood waters of Paploha rivulet near Kalka on July 10, 1998.

This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

Cyclone Tragedy

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad and untimely demise of those persons who lost their lives in the cyclone in Gujarat and Rajasthan on June 9, 1998.

This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

Tornado Tragedy

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad and untimely demise of those persons who lost their lives in Tornado in West Bengal and Orissa on March 24, 1998.

This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

श्री ओम प्रकाश चौटाला (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में हरियाणा प्रदेश से और दूसरे प्रदेशों से कुछ ऐसी शखसियत संसार से चली गई हैं जो बहुत अच्छे राजनीतिक, प्रशासक और शिक्षाविद रहे और उनमें से कुछ बहुत अच्छे प्लेयर भी रहे। आज सदन के नेता ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का रैज़ोल्यूशन सदन में प्रस्तुत किया है। श्री ईश्वर सिंह इस सदन के बहुत लम्बे समय तक अध्यक्ष रहे, वे संसार से चले गए। वे 1968, 1972, 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे 1969 से 1972 तक हरियाणा राज्य मार्किटिंग बोर्ड के अध्यक्ष और 1984 से 1987 तक हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। वे 1991 में हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने विधान सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और सदन को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। श्री ई०एम०एस० नम्बूद्रीपाद, केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, केरल के बहुत लम्बे समय तक मुख्य मंत्री रहे। राजनीति में उनकी अहम भूमिका रही। वे बहुत अच्छे देशभक्त, योग्य प्रशासक और एक अनुभवी राजनेता थे। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। चौधरी मोहम्मद असलम खान, इसी सदन के दो दफा सदस्य रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। उनके बेटे श्री अकरम खान इस सदन के सदस्य हैं। श्री असलम खान के दुखद निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। श्री हरचन्द सिंह, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व उप मंत्री संसार से चले गए। वे एक अनुभवी नेता थे। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। मास्टर नान्हू राम, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य संसार से चले गए। वे एक अनुभवी सदस्य थे। जब उन्होंने मुश्तरका पंजाब विधान सभा का पहला चुनाव लड़ा था तो वह चुनाव उन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र में साइकिल पर घूम-घूम कर लड़ा था। वे हमारे लिए एक प्रेरणा स्त्रोत थे। आज वे इस संसार में नहीं हैं। हम उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। सरदार तेजा सिंह दर्दी, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य संसार से चले गए। वे संयुक्त पंजाब विधान सभा के लिए डबवाली निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य चुने गए थे। वे बहुत योग्य सांसद रहे। हम उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। कंवर रानी जगदीश कौर, संयुक्त पंजाब विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या आज हमारे बीच में नहीं रहीं। उन्होंने बहुत अच्छी सदस्या के तौर पर प्रदेश की सेवा की। हम शोक संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

हैं। श्री निखिल चक्रवर्ती एक प्रख्यात पत्रकार और प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष संसार से चले गए। वे प्रैस के मामले में और विशेष रूप से आज की जो राजनीति है उसके बारे में वक्तन फवक्तन देश में मार्ग दर्शक का काम करते रहे। उनके निधन से देश एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे सलाहकार और एक अच्छे प्रेरणा स्त्रोत से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री सुशील बाली भी एक बहुत अच्छे पत्रकार थे। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। यह सदन उनके प्रति और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अनिल भी एक वीर सैनिक थे। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपनी अहम् भूमिका निभाई। उन पर देश को नाज है, गौरव है। आज देश एक वीर व साहसिक सैनिक से वंचित हो गया है। यह सदन उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, नीरज मलिक भी एक वीर सैनिक थे। 20 अप्रैल,1998 को उनका निधन हो गया। ऐसे वीर सैनिक की मौत पर यह सदन उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय, विजय आहुजा भी एक वीर सैनिक थे। वे एक साहसिक सैनिक थे। यह देश ऐसे वीर सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अतः यह सदन उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री अभय सिंह एक स्वतंत्रता सैनिक रहे हैं। उनके निधन पर यह सदन शोक प्रकट करता है। उनके निधन से देश एक स्वतंत्र सैनिक से वंचित हो गया है। अतः यह सदन शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, डा० गणपति चन्द्र गुप्त एक बहुत अच्छे व महान शिक्षक थे। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में चांसलर के पद पर जितने समय तक रहे उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी और उसे बनाये रखने में कामयाब भी रहे। देश एक अच्छे व योग्य शिक्षक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अतः यह सदन शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री धर्मवीर, जिला सोनीपत गांव हलालपुर के रहने वाले थे। उन्होंने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 गोल्ड मैडल प्राप्त किए। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के अन्दर 28 बार देश का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने 5 गोल्ड मैडल व 6 सिलवर मैडल देश के लिए प्राप्त किए। उनके गांव में एक स्टेडियम बन रहा है। वह अधूरा है। जब इस प्रकार के लोग चले जाते हैं तो उनकी याद रह जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि वे एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। उनके गांव में जो स्टेडियम बन रहा है उसे जल्दी पूरा करवाया जाये व उस स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा जाये। इससे देश में उनका नाम बढ़ेगा और प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। उनकी पत्नी ग्रैज्युएट है। अतः सरकार को उनकी पत्नी को कम से कम सैकिण्ड क्लास अधिकारी के पद पर नियुक्त करना चाहिए। उसने सारे देश व विदेश में हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। जब उसकी 13वीं थी तो उस वक्त सारे देश के पहलवान उस गांव में इकट्ठे हुए थे। उन सब की भी मांग है कि स्टेडियम का नाम भी उनके नाम पर रखा जाये। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति हमारी होगी। अतः उनके निधन पर यह सदन शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, मक्का दुर्घटना विश्व की बड़ी दुखद घटना थी। वहां पर लोग धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर गए थे। पर वे वहां पर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। अतः यह सदन इन लोगों के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण वहां पर एक नौका दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 28 लोग मारे गए। बड़ा अफसोस है कि उनकी डैड बॉडी उनके परिवार वालों तक नहीं पहुंची। सरकार की नैगलीजेंसी का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब यमुना में 2 लाख क्यूसिक पानी आ गया था तो वहां पर प्रशासन ने गौर क्यों नहीं किया। यानी अनहोनी जरूर हुई और यह अनहोनी सरकार की नैगलीजैंसी की वजह से हुई। सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिएं जिससे आगे इस प्रकार की बात फिर से न हो। इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कालका की दुर्घटना के प्रति यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। चक्रवात की जो दुर्घटना हुई वह भारत वर्ष में संभवतः इस वर्ष की सबसे भयानक दुर्घटना है। हजारों ऐसे लोग थे जिनका कोई अता-पता नहीं लग पाया कि वे कौन थे और कहां से आए थे। उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि से हजारों मजदूर जो कि वहां पर नमक के काम पर लगे हुए थे, वे बेचारे सोते हुए मारे गए। अनेकों ऐसे लोग थे जिनके परिवारों को उम्मीद है कि वे कभी वापिस आ जाएंगे लेकिन वे लोग आज इस संसार में नहीं हैं। यह सदन सारे शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति और संवेदना प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में आये तूफान से मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति यह सदन अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव में जिन लोगों का जिक्र आया है उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति यह सदन हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता चौधरी बंसी लाल जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है और जिसका समर्थन माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस महान सदन में अध्यक्ष महोदय के गरिमामय आसन पर विराजमान रहे चौधरी ईश्वर सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे 1982 और 1991 में उनके साथ इस सदन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे शिक्षा के क्षेत्र में अहम् स्थान रखते थे और शिक्षा जगत से उनका गहरा सम्बन्ध था। वे एक छोटे से गांव की पृष्ठभूमि से आए थे उन्होंने अपने गांव से तथा अपने परिवार से जीरी इकट्ठी करके एक महाविद्यालय बनाया। आज उनके न रहने से शिक्षा जगत में एक खला उत्पन्न हो गई है जिसका भर पाना शायद सम्भव नहीं होगा। मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।

ई०एम०एस० नम्बूद्रीपाद कई वर्षों तक केरल के मुख्य मंत्री रहे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम से राजनीति में प्रवेश किया। केरल की राजनीति में जनजागरण के लिए वे विख्यात थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।

चौधरी असलम खान जी इसी सदन में दो बार सदस्य रहे और मैं भी उनके साथ विधान सभा में रहा। आज उनके बेटे चौधरी अकरम खान इस सदन के सदस्य हैं। हालांकि उनकी विचारधारा हमारी पार्टी से भिन्न रही वे कांग्रेस में रहे। वे एक सक्रिय कार्यकर्त्ता थे और अपने विचारों पर दृढ़ रहे। इस सदन में भी वे अपने विचारों पर दृढ़ रहे और अपनी मर्यादा के भीतर रह कर उन्होंने कार्य किया। उनसे हमने काफी कुछ सीखा। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री हरचन्द सिंह, मास्टर नान्हू राम, सरदार तेजा सिंह दर्दी, कंवर रानी जगदीश कौर, ये सभी

[श्री राम बिलास शर्मा]
संयुक्त पंजाब में मंत्री और विधायक रहे उनके निधन पर उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री निखिल चक्रबर्ती एक प्रख्यात पत्रकार तथा प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष थे। प्रसार भारती की स्थापना उनके प्रयत्नों से ही हुई और उनकी सूझबूझ और प्रखर बुद्धि से ही प्रसार भारती आज इस मुकाम पर पहुंची है। पत्रकारिता के नाते पत्रकारिता के जगत में कलमकार के नाते देश में उनका कोई सानी नहीं था। वे अपने विचार निर्भीक हो कर लिखते थे और प्रशासन के दबाव में नहीं आते थे। वे राजनीतिज्ञों की पसन्द ना पसन्द की परवाह न करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने एक अनुठी मर्यादा और दिशा निर्धारित की है उनके निधन से पत्रकारिता जगत में जो खला पैदा हुई है वह कभी भरी नहीं जा सकेगी। उनके निधन पर मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री सुशील बाली जो हरियाणा के थे, चण्डीगढ़ में पी०टी०आई० और टैलीविजन इंटरनैशनल के ब्यूरो चीफ रहे। उनके साथ मेरा मित्रता का सम्बन्ध था उनका काम करने का अपना ही अन्दाज था। मैं उनके दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

कैप्टन अनिल एस० दयाल, मेजर नीरज मलिक और श्री विजय अहूजा ये तीनों ऐसे वीर सिपाही थे जो मां भारती की सेवा करते हुए कुर्बान हो गए। इन्हें कश्मीर में लगाया हुआ था जहां पर आतंकवाद का जोर था। इन्हें ऐसे-ऐसे छोटे गांवों में लगाया हुआ था जहां पर शादियां नहीं हो पाती थीं इन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम इनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हज करने जाते हैं उनमें हमारे भारतीय भी होते हैं वहां पर बहुत भीड़ होने की वजह से वे लोग मारे जाते हैं ऐसा ही इस बार भी हुआ और वहां पर कई लोग मारे गए और वापिस नहीं आ सके हम उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो यमुना नौका दुर्घटना हुई और कालका में एक नाले में पानी आने की वजह से लोगों की मृत्यु हुई यह बहुत ही दुःख की खबर है। हम उन मरने वालों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं।

इसी तरह से गुजरात में जो प्राकृतिक विपदा आई जिसके बारे में किसी को भी पता न था उससे भी बहुत जान माल का नुक्सान हुआ है। वेरवल से जामनगर तक और काण्डला बन्दरगाह पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वहां पर जिन लोगों की मृत्यु हुई हम उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं।

पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में आये तूफान से मारे गए लोगों के प्रति हम हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, धर्मबीर सिंह हमारे हरियाणा के थे उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मैडल लिया और कई बार भारत का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था उनके निधन से देश एक अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की सेवाओं से वंचित हो गया है। हम उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

श्रीमती करतार देवी (कलानौर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने पिछले सत्र के खत्म होने के बाद और इस सदन के शुरू होने तक के बीच में हमारे बीच से जो महान विभूतियां चली गई हैं, के बारे में जो शोक प्रस्ताव रखा है उसके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी ईश्वर सिंह इस सदन के महान सदस्य रहे हैं। उनका जीवन एक सामाजिक कार्यकर्त्ता का था। जिस ने समाज की हर कृति के लिए बड़े सशक्त शब्दों में और कार्यकलापों से दर्ज करवाया है उनकी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत ही रूचि थी जिसकी आधारशिला उन्होंने अपने हल्के से शुरु की। उनकी कृषि में भी बहुत रूचि थी उन्होंने अपने गांव कोल में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोला। विधान सभा में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव उनकी तरफ से आते रहे। एक ऐसे महान आदमी अपनी करनी से अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। उन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए आज हमारे जीवन में अपने लिए कुछ करने के लिए बहुत कम समय मिलता है और वे इस कम समय में भी समाज के लोगों के बारे में सोचते रहे।

चौधरी ईश्वर सिंह विधान सभा में अध्यक्ष के रूप में विधान सभा की कार्यवाही चलाते रहे। उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से विधान सभा की कार्यवाही चलाई। हम उनके निधन पर उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं।

श्री ई०एम०एस० नंबूदरीपाद केरल के दो बार मुख्य मंत्री रहे और पांच बार केरल विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे अपने रीजन में क्रांतिकारी व्यक्ति थे। जब देश स्वतंत्रता के लिए जूझ रहा था तब वे कालेज की पढ़ाई छोड़कर उस आंदोलन में शामिल हुए और आजादी के बाद भी उन्होंने इस बात को समझा कि जब तक समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था बदली नहीं जाती तब तक कोई सही रिजल्ट निकलने वाला नहीं है तथा आम आदमी के जीवन में तब तक कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। सर, इसलिए वे कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जैसे ही कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई वैसे ही उन्होंने अपने पिता से मिली हुई अपनी सारी जमीन जायदाद अपने यहां के गरीब लोगों में बांट दी तथा अपने नाम उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। स्पीकर सर, वास्तव में उनके निधन से एक आदर्श व्यक्ति समाज से चला गया है। भले ही वे किसी भी पार्टी के रहे हों लेकिन समूची व्यवस्था के परिवर्तन का जो उनका सपना था, वह हम सबके लिए एक चुनौती है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करें कि आज हम उसी घिसी पिटी व्यवस्था पर चल रहे हैं और हम इसी व्यवस्था के माध्यम से परिवर्तन लाने की सोचते हैं लेकिन ला नहीं पाते हैं। मैं उनके प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

सर, इसी तरह से भाई मोहम्मद असलम खान जो दो बार इस सदन के सदस्य रहे, वे अपने आप में धर्म निरपेक्षता की एक साकार मूर्ति थे मुझे स्वयं उनके क्षेत्र में जाने का मौका मिला था। स्वयं वे तो इस्लाम धर्म को मानते थे लेकिन उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव नजर नहीं आता था कि वे किसी और धर्म को मानने वाले हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्तियों का जाना बहुत ही दुखदायी है। उनके बेटे भाई अकरम खान भी इस सदन के सदस्य हैं, मुझे आशा है कि वे उनके जीवन मूल्यों को बनाये रखेंगे। सर, मैं उनके प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं।

स्पीकर सर, इसी प्रकार से श्री हरचन्द सिंह जी जो संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य और 1992 में लोकसभा के सदस्य भी रहें, के निधन पर मैं उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। इन जैसे अनुभवी लोगों के जाने से जो खालीपन पैदा होता है वह भरना आसान नहीं होता। सर, वास्तव में विधि का विधान है उसके आगे किसी की पार नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसे लोगों के जाने से मन को बहुत दुख पहुंचता है।

इसी प्रकार से मैं मास्टर नान्हू राम जी के निधन पर भी शोक प्रकट करती हूं। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको भारत सरकार द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया था। जिस क्षेत्र से मैं विधायक हूं उसी क्षेत्र से वे विधायक बने थे। सर, उनके बारे में एक मिसाल कही जाती है कि जब उन्होंने पहली

[श्रीमती करतार देवी]
बार चुनाव लड़ा तो उनको पार्टी की तरफ से पांच हजार रुपये दिए गए थे जिसमें से उन्होंने साढ़े तीन हजार रुपये पार्टी को वापस लौटा दिए थे। उन्होंने एक ही जीप से चुनाव लड़ा था वे गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनकी गांधी के सिद्धांतों के प्रति दृढ़ निष्ठा थी। उनसे बात करने वाले पाते थे कि उनकी यह निष्ठा अभी भी डगमगायी नहीं थी। इसलिए ऐसे वरिष्ठ नेता के चले जाने से मैं उनके प्रति भी अपनी हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं।

इसी प्रकार से सरदार तेजा सिंह दर्दी जो संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य और लोक सभा के सदस्य भी रहे, के निधन पर भी मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

इसी तरह से कंवर रानी जगदीश कौर जो 1952 में संयुक्त पंजाब विधान सभा की सदस्य चुनी गयी थी, के निधन पर भी मैं अपनी संवेदना प्रकट करती हूं। वे उस समय विधान सभा के लिए चुनी गयी थीं जब महिलाएं घरों से भी बाहर निकल नहीं सकती थीं।

सर, इसी तरह से मैं श्री निखिल चक्रवर्ती के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करती हूं। वे एक बहुत ही प्रख्यात पत्रकार थे। वे प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष थे। एक स्वच्छ सार्वजनिक जीवन में उनका अपना एक अलग ही रुतबा था। सर, इसी प्रकार से मैं श्री सुशील बाली जो कि एक प्रख्यात पत्रकार थे के निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करती हूं। इसी तरह से मैं कैप्टन अनिल एस० दयाल, मेजर नीरज मलिक और श्री विजय आहूजा जी के निधन पर भी उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। ये तीनों ही वीर सैनिक थे और इन तीनों का ही देश की रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान था। श्री विजय आहूजा जी ने कश्मीर में उग्रवादियों से लड़ते हुए अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए। मेरे पास ऐसे परिवारों के प्रति कहने के लिए कोई शब्द नहीं है जिससे कि उनके दुखों में कोई कमी हो फिर भी मैं हृदय से उनके प्रति शोक प्रकट करती हूं। इसी प्रकार से श्री अभय सिंह जी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जो हमारे आदर्श थे, के निधन पर भी मैं गहरा दुख व्यक्त करती हूं। आज जिस आजादी में हम सांस ले रहे हैं ये उन लोगों की देन है। उन्होंने हमें स्वतंत्र भारत में जीने और आगे बढ़ने का मौका दिया।

इसी तरह से डा० गणपत चंद्र गुप्ता जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे और भाई धर्मवीर दहिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे इनके निधन से भी भारी क्षति हुई है इनके परिवारों के सदस्यों के प्रति मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं इसके साथ ही अत्यंत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से भाई अभय सिंह जी हैं या और हैं उनके नाम के साथ उनका पता लिख दिया जाए तो अच्छा रहता है लोगों को उनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। मेरा निवेदन है कि आगे से इस बारे में ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि बहन शकुन्तला भल्ला फ्रीडम फाइटर थीं उनका भी निधन हो गया है उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाए। साथ ही कालका की दुर्घटना, गुजरात और राजस्थान में आए चक्रवात व पश्चिम बंगाल में आए तूफान की दुर्घटना व मक्का में जो दुर्घटना हुई है उसमें जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करती हूं। साथ ही यमुना नौका दुर्घटना के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि यदि प्रशासन को दुर्घटना का आभास हो तो अधिकारियों को वीजिलैंट रहना चाहिए। सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है और यमुना का जल स्तर बरसात के मौसम में बढ़ा रहता है ऐसे मौके पर सावधानी बरतनी चाहिए थी। सावधानी न बरतने के कारण 28 परिवारों को जो दुर्दिन देखना पड़ा है वह न देखना पड़ता। यह तो ठीक है कि जिसकी आई है उसने तो जाना ही है लेकिन फिर भी इस बात से प्रशासन की तरफ उंगली उठी है, इसलिए प्रशासन को और ज्यादा

सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ सदन के माननीय नेता द्वारा रखे गए प्रस्ताव के साथ अपनी पार्टी को शामिल करती हूं और पिछले अधिवेशन से इस अधिवेशन के बीच जो महानुभाव हमारे बीच से चले गए हैं उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र शर्मा (पुन्डरी) : अध्यक्ष महोदय, आज इस शोक प्रस्ताव के अन्दर एक ऐसे महान इंसान हैं जो इस सम्मानित सदन के 4 बार सदस्य रहे। पहली बार 1968 में उसके बाद 1972 फिर 1982 और 1991 में सदस्य बने। तीन वर्ष तक मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, तीन वर्ष तक योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। अध्यक्ष महोदय, चौधरी ईश्वर सिंह जी एक समाजसेवी व बहुत ही महान इंसान थे । मैं लगभग 6 वर्ष तक उनके सम्पर्क में रहा। वे समाज के हर वर्ग के बारे में, हरियाणा के बारे में, अपने हल्के के बारे में 24 घंटे यही सोचते थे कि किस प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब वह पहली बार इस सदन के सदस्य बने तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र के कौल गांव में उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाई। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बड़ी भारी रुचि थी विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के बारे में वे बहुत ध्यान देते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के अन्दर दो कन्या महाविद्यालय एक पुंडरी में दूसरा ढांड में बनवाए। पुंडरी हल्के के अंदर उन्होंने बहुत सारे विकास के काम करवाए। वे एक नेक और अच्छे इंसान थे। उनके निधन से प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसके साथ-साथ चौधरी मोहम्मद असलम खान जी थे जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता था क्योंकि उनके पुत्र श्री अकरम खान जो हमारे साथ यहां पर विधायक हैं उनके साथ मैं उनके घर पर कई बार आया जाया करता था। मोहम्मद असलम खान एक बहुत ही अच्छे इन्सान थे और हमें हर समय ऐसी नई-नई बातें बताया करते थे जो आज हमारे जीवन में काम आने वाली हैं तथा हमारे जीवन के लक्ष्य को और ऊंचा उठाने वाली हैं। चौधरी मोहम्मद असलम खान की उम्र अभी पचास वर्ष की भी नहीं हुई होगी परन्तु वे इस दुनिया से चले गये अब हम भाई अकरम खान से यह आशा करेंगे कि वे बुजुर्ग के बताये हुये रास्ते पर चल कर उनके अधूरे सपने को साकार करेंगे। इसके साथ ही केरला के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ई०एम०एस० नंबूदरीपाद, श्री हरचन्द सिंह भूतपूर्व डिप्टी मिनिस्टर, संयुक्त पंजाब, मास्टर नान्हू राम, भूतपूर्व विधायक, संयुक्त पंजाब, सरदार तेजा सिंह दर्दी, भूतपूर्व विधायक संयुक्त पंजाब, कंवर रानी जगदीश कौर, भूतपूर्व विधायक, संयुक्त पंजाब श्री निखिल चक्रवर्ती प्रख्यात पत्रकार, श्री सुशील बाली, वरिष्ठ पत्रकार, कैप्टन अनिल एस० दयाल एक वीर सैनिक, मेजर नीरज मलिक एक वीर सैनिक, श्री विजय आहूजा एक वीर सैनिक, श्री अभय सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी, डा० गणपति चन्द्र गुप्ता जो पांच वर्ष तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उप-कुलपति रहे, उस विश्वविद्यालय में मैं भी पढ़ा हूं, श्री धर्मवीर सिंह दहिया, एक औलम्पियन, मक्का मदीना दुर्घटना, यमुना नौका दुर्घटना, कालका दुर्घटना, चक्रवात दुर्घटना और टोरनाडो दुर्घटना इन सभी के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सम्माननीय दिवंगत व्यक्तियों के बारे में सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूं। यह तो प्रकृति का नियम है जो भी इन्सान आता है उसे जरूर जाना है। पिछले सदन की समाप्ति से लेकर आज तक हमारे बीच से कई शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, पत्रकार और वीर सैनिक उठ गये हैं। हम सभी को उनके प्रति गहरा दुख है और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। श्री ईश्वर सिंह हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे और वे हरियाणा के महान शिक्षाविद थे शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। एक गरीब किसान

[श्री अध्यक्ष]
परिवार के घर में जन्म लेकर उनकी अपनी अटूट निष्ठा शिक्षा के प्रति रहती थी। उन्होंने कौल जैसे स्थान पर जहां स्वयं एक मिडिल स्कूल बनाया उसी मिडिल स्कूल को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का एक अंग बनाया। शिक्षा के विस्तार के लिए उनका अपना एक योगदान रहा है। पुण्डरी और ढांड जैसे क्षेत्रों में उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए दो महाविद्यालयों की स्थापना की। विधान सभा के स्पीकर पांच वर्ष तक रहे तथा मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक बहुत ही सुलझे हुये इंसान थे और अच्छे प्रशासक थे तथा बड़े योग्य व्यक्ति थे उनके चले जाने से हमें भारी दुख हुआ है। यह सदन उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

श्री ई०एम०एस० नंबूदरीपाद जिनका नाम साम्यवादी विचारधारा वाले व्यक्तियों में विशेष अनुकरणीय है। वे जो एक विचारधारा लेकर चले थे उसी विचारधारा पर अडिग रहते हुए वे केरल के दो बार मुख्यमंत्री बने और उनका नाम भारत के राजनीतिक इतिहास में हमेशा अमर रहेगा।

चौधरी मोहम्मद असलम खान, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, जिनके साथ पिछले पांच सालों में हमें काम करने का मौका मिला, हमें छोड़कर चले गये हैं। भले ही वे कांग्रेस पार्टी से थे लेकिन सभी के साथ व्यवहार कुशल होने की उनके अंदर बहुत बड़ी खूबी थी। उनके पुत्र श्री अकरम खान जो आज इस माननीय सदन के सदस्य हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे उनको इस अपूर्णीय क्षति को बर्दाश्त करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री हरचन्द सिंह, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व उप-मंत्री के हुए दुःखद निधन पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मास्टर नान्हू राम, जो संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य थे और मेरे हल्के के साथ जुड़ा हुआ उनका क्षेत्र था। आज भी मास्टर नान्हू राम जी का त्याग, तपश्चर्या और उनका अनुकरणीय जीवन हमारे लिए शिक्षाप्रद है। आज भी लोग बड़े आदर से याद करते हैं कि मास्टर नान्हू राम जैसे ईमानदार व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। उन का जीवन सादगी से परिपूर्ण था।

सरदार तेजा सिंह दर्दी, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के हुए दुःखद निधन पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कंवर रानी जगदीश कौर, संयुक्त पंजाब विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या, जो 1952 में एम०एल०ए० बनकर आई थीं जबकि उस समय नारी जगत में राजनीतिक चेतना शून्य मात्र ही थी, के हुए दुःखद निधन पर मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री निखिल चक्रवर्ती एवं श्री सुशील बाली, दोनों ही महान् पत्रकार थे। उन का पत्रकारिता के क्षेत्र में अमिट योगदान रहा। मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। कैप्टन अनिल एस० दयाल, मेजर नीरज मलिक, श्री विजय अहूजा ये तीनों ही ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इन वीर सैनिकों के प्रति हम ही नहीं बल्कि सारा देश कृतज्ञ है। परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को सद्‌गति प्रदान करें और उनके परिवार के सदस्यों को इस असहनीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।

श्री अभय सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी व डॉ० गणपति चन्द्र गुप्त का अपने-अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा। उनके हुए दुःखद निधन पर मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री धर्मवीर सिंह दहिया, भूतपूर्व ओलम्पियन, जिन्होंने भारत और विशेषकर हरियाणा प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। कई बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनके चले जाने से हमें बहुत क्षति हुई है। मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्‌गति प्रदान करें। मक्का दुर्घटना, यमुना नौका दुर्घटना, कालका दुर्घटना एवं चक्रवात दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि

अर्पित करता हूं व उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। मार्च, 1998 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान दुर्घटना में जिन लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, उनके प्रति शोक प्रकट करते हुए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करें। अतः मैं शोक संतप्त परिवारों को सदन द्वारा जो संवेदना प्रकट की गई है, पहुंचा दूंगा। अतः मैं माननीय सदस्यों से दिवंगत आत्माओं के सम्मान में श्रद्धांजली देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए खड़े होने का अनुरोध करता हूं।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज अब सवाल होंगे।

Lifting of Prohibition in the State

***609. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Prohibition, Excise and Taxation be pleased to state-

(a) whether it is a fact that prohibition in the State has been lifted; if so, the reasons thereof; and

(b) yearwise and districtwise details of loss sufferred to the State exchequer on account of prohibition ?

निषेध, आबकारी तथा कराधान मन्त्री (सेठ सिरी किशन दास) : इस सम्बन्ध में कथन सदन के पटल पर रखा जाता है।

कथन

(क) जी हां। राज्य में मद्य निषेध 1-4-98 से समाप्त कर दिया गया है। राज्य भर में मद्य निषेध लागू करने के पश्चात् इसे एक सामाजिक आन्दोलन बनाने के लिए सभी मुख्य उपाए किये गये व आम लोगों को इसमें शामिल करने के लिए गांव के स्तर पर एवं उच्च स्तर पर समितियां बनाई गई थीं। इस कार्य को सख्ती से लागू करने के लिए एक पृथक मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग बनाया गया व पुलिस ढांचे को सुदृढ़ किया गया। मद्य निषेध के उल्लंघनों को सख्ती से निपटने के लिए कानून के प्रावधानों में अवश्यक संशोधन किया गया और शराब की तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने का प्रावधान किया गया। मद्य निषेध लागू करने में राज्य सरकार को प्रमुखतः सफलता मिली लेकिन चूंकि हरियाणा की सीमाएं पंजाब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व चण्डीगढ़ इत्यादि राज्यों/क्षेत्रों के साथ लगती हैं, ये सब शराब के सेवन को अपने-अपने राजस्व बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। हरियाणा राज्य में मद्य निषेध व पुलिस विभागों को उन क्षेत्रों से आने वाली शराब को पूर्ण तौर पर रोकना अत्याधिक दुष्कर कार्य था। राज्य सरकार को आशा थी कि भारत सरकार मद्य निषेध को एक संवैधानिक जिम्मेदारी मानते हुए इसको पूरे देश में लागू करने के लिए एक नीति बनाएगी जिससे हरियाणा राज्य में आने वाली शराब की एक-एक बूंद पूर्णतया बन्द करने के लिए हरियाणा सरकार के हाथ

[सेठ सिरी किशन दास]

मजबूत करेगी। तथापि वर्ष 1997 में आन्ध्र प्रदेश ने अपनी मद्य निषेध की नीति को उल्ट दिया। हरियाणा के पड़ौसी राज्यों ने, केवल दिल्ली को छोड़कर, अतिरिक्त राजस्व कमाने के लिए हरियाणा राज्य की सीमाओं पर अतिरिक्त शराब के ठेके खोलकर हरियाणा राज्य में लागू मद्य निषेध का नाजायज लाभ उठाना आरम्भ कर दिया। यह भी ध्यान में आया कि मद्य निषेध का प्रचालन केवल राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी बनी रही तथा सामाजिक संगठनों जिन्होंने मद्य निषेध के पक्ष में अभियान आरम्भ किया था, मद्य निषेध लागू होने पर आशा के अनुरूप इसमें योगदान नहीं दिया। इसलिए यह जन-अभियान नहीं बन सका जोकि इसकी सफलता के लिए अनिवार्य था। अतः 1-4-98 से सरकार ने मद्य निषेध को हटा दिया।

(ख) वर्ष 1996-97 के आबकारी राजस्व का सम्भावित जिला-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	जिले का नाम	सम्भावित आय (रुपए करोड़ों में)
1.	अम्बाला	39.12
2.	पंचकूला	15.81
3.	भिवानी	28.61
4.	फरीदाबाद (पूर्व)	41.05
5.	फरीदाबाद (पश्चिम)	51.52
6.	गुड़गांव	49.26
7.	हिसार	44.31
8.	फतेहाबाद	26.05
9.	जीन्द	32.15
10.	करनाल	34.26
11.	कैथल	27.40
12.	कुरुक्षेत्र	10.20
13.	नारनौल	14.70
14.	पानीपत	31.59
15.	रोहतक	26.85
16.	झज्झर	20.06
17.	रिवाड़ी	14.43
18.	सोनीपत	31.66
19.	सिरसा	33.07
20.	यमुनानगर	27.90
	जोड़	600.00

उपरोक्त में से 68.11 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति अवधि दिनांक 1-4-96 से 30-6-96 तक अर्थात् मद्य निषेध लागू होने से पूर्व, की जा चुकी थी।

किसी वर्ष विशेष के दौरान आबकारी राजस्व की प्राप्ति उस वर्ष की आबकारी नीति पर आधारित होती है। चूंकि वर्ष 1997-98 में मद्य-निषेध लागू रहा, अतः उस वर्ष के लिए आबकारी नीति तैयार नहीं की गई। इसलिए वर्ष 1997-98 के लिए इस प्रकार हो सकने वाली आय का अनुमान लगाना संभव नहीं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में प्रोहिबिशन लागू करने का सरकार का मेन प्लान था। इस गठबन्धन सरकार के दोनों पार्टियों के 43 सदस्य हैं। जब ये लोग चुनाव में गए तो उस समय इन्होंने लोगो से शराब बन्द करने का वायदा किया था और यह बात इनके मैनिफैस्टो में भी थी। इन्होंने प्रदेश में प्रोहिबिशन लागू करके कई प्रकार के टैक्स लगाए और इन्होंने वे टैक्स बिजली के रेट बढ़ाने के रूप में लगाए, बसों का किराया बढ़ाया और ट्रकों के लोड पर भी टैक्स बढ़ाया।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब आप सवाल पूछें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रोहिबिशन लागू करने के बाद जनता पर जो नए टैक्स लगाए गए थे, क्या उन टैक्सों को सरकार वापिस लेगी ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अब जब प्रोहिबिशन हटा दिया गया है तो यूथस के खिलाफ प्रोहिबिशन के दौरान जो स्मगलिंग के केस रजिस्टर्ड हुए क्या सरकार उनको विदड्रा करेगी ?

सेठ सिरी किशन दास : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछें हैं, मैं उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि प्रोहिबिशन का टैक्सों से कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसे बसों का किराया बढ़ाया है, उसके साथ-साथ तेल के रेट बढ़ गए इसलिए बसों का किराया बढ़ाया है। इसलिए प्रोहिबिशन के कारण हमने कोई टैक्स नहीं लगाए हैं। (शोर)

खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री (श्री गणेशी लाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं चूंकि यह महकमा मेरे पास भी रहा है। माननीय सदस्य ने कई प्रश्न एक साथ उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रोहिबिशन आपका मेन प्लान था उसको आपने वापिस ले लिया उसके हमने कई कारण बताए जो सवाल के जवाब में पटल पर रखे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसैस होता है। डैमोक्रसी के अन्दर प्लैटो ने भी डायरैक्ट इसको डैमोक्रेसी कहा है। सामाजिक आन्दोलन में इनको सहभाग करना पड़ता है। यह सच है कि हमने अपने मैनिफैस्टों मे यह कहा है कि हम शराब बंद करेंगे। यह वायदा हमने लोगों के बीच में किया था और लोगों ने कहा और खास करके महिलाओं ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में इस कैंसर को बंद किया जाए। हमने उसको अपने कांस्टीच्यूसनल रिस्पोंसिबिलिटी/ओबलीगेशन को भी और व्यक्तिगत धर्म भी जो कि मैन सुप्रीम है उसकी भावनाओं का आदर करते हुए हरियाणा प्रदेश के अन्दर प्रोहिबिशन लागू की। हरियाणा प्रदेश में प्रोहिबिशन लागू करने के पश्चात् इस प्रकार से एक ऐसा इन्फ्रास्ट्रैक्चर ईमानदारी के साथ प्रमाणित करके हरियाणा के अन्दर लागू किया, जिसका अगर मैं स्मरण कराऊं तो हमारे विपक्ष के सम्मानित नेता ने उस समय प्रोहिबिशन लागू करने की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। उन्होंने यहां ऑन दि फलोर ऑफ दि हाउस उस समय व्यंग्य के रूप में एक बात अवश्य कही थी शायद हमें वह बात उपहास मात्र लगी लेकिन इन्होंने कहा था कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था और जिस रेल से इनको

[श्री गणेशी लाल]

जाना था वह रेल रेलवे स्टेशन पर उसमें शराब मिलने के कारण इम्पाउंड कर ली गई इसलिए इनको बस से आना पड़ा इसलिए ये आने में लेट हो गए। मैं सोच रहा था कि हमारे मेजर्ज स्ट्रिंजैंट थे यह तो उनको लगा कि हरियाणा सरकार अपने काम में कोई कोताही नहीं कर रही गाड़ी को भी इम्पाउंड कर सकती है। (शोर) I will welcome each missile. Let each missile come to me. मैं मिसलीड नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह जी के एक-एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, डिसीजन मेकिंग प्रोसैस के अन्दर लगातार रैपर्ट करने पर जो बातचीत सामने आई उसमें ऐसा लगा कि यह सच है कि हमने ऑन दि फ्लौर ऑफ दि हाउस बार-बार यह बात कही कि हम प्रोहिबिशन लागू करने में 85 परसैंट या 90 परसैंट कामयाब हैं उसके बाद हमने इस पालिसी को स्क्रैप किया। (शोर) अध्यक्ष महोदय, उसी डिसीजन मेकिंग प्रोसैस के अन्तर्गत लोगों की भावनाओं को और लोगों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए हमने इस पालिसी को वापिस लिया। जहां तक कैप्टन अजय सिंह जी के दूसरे प्रश्न का सवाल है कि क्या सरकार ने प्रोहिबिशन के कारण लोगों पर टैक्स लगाए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने शराबबंदी के कारण किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया। प्रोहिबिशन के कारण हमने किसी प्रकार का कोई टैक्स हरियाणा की जनता पर नहीं थोपा। अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अजय सिंह जी का तीसरा प्रश्न था कि प्रोहिबिशन लागू होने के बाद लोगों पर जितने केसिज चल रहे हैं उनके बारे में क्या होना है। उन केसिज के लिए कानून पर्याप्त है। कानून के अनुसार जिस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा उसी प्रकार का कानून उन केसिज के साथ डील करेगा।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने एक बात कही कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर औरतों की आवाज पर शराबबंदी लागू की, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब किसी की आवाज पर प्रदेश में शराब खोलने का काम किया है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उस समय हमारे विपक्ष के नेता ने शराब बंदी का सम्मान किया लेकिन आपने शराब खोलने का काम अपनी मर्जी से किया। आपने शराब खोलने के बारे में विपक्ष के नेता या सदन के दूसरे विधायकों को विश्वास में क्यों नहीं लिया। तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों की शराब बन्दी के कारण गाड़ियां सरकार ने अपने कब्जे में ली हैं। क्या उनको वापस करेगी और उनके केस वापस लेगी। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस कारण हरियाणा रोड़वेज की छः बसें भी थाने के अन्दर खड़ी हैं, क्या वे वापस हरियाणा रोड़वेज को दिलवाई जाएंगी ? इसके अलावा जिन-जिन बड़े-बड़े लोगों की शराब बंदी के कारण गाड़ियां थाने में बन्द हैं क्या वे वापिस होंगी ?

श्री गणेशी लाल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भावना साहब ने तीन प्रश्न किए हैं। मैं इनके तीसरे प्रश्न का जवाब पहले ही दे देता हूं। इन्होंने तीसरा प्रश्न किया है कि क्या सरकार जिन लोगों की गाड़ियां शराब बंदी के कारण सरकार के कब्जे में आई हैं क्या उनको वापिस किया जायेगा या नहीं ? इस बारे में मेरा कहना है कि इस वक्त जो हमारे कानून हैं उनके अनुसार उनका फैसला होगा। इससे पहले इन्होंने एक पहला प्रश्न किया था कि महिलाओं के सम्मान के लिए और उनकी आवाज के ऊपर सरकार ने शराब बन्दी की थी। क्या अब यह फैसला भी उनकी आवाज पर किया गया है इस बारे में मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि कोई फैसला लेते समय सभी पहलुओं को देखना पड़ता है। हमने इस बारे में यानी शराब बन्दी को हटाने का फैसला लेते समय सभी से बातचीत करके यह फैसला लागू किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इसी डिसीजन मेकिंग की वजह से यह फैसला लिया गया। हमने नुक्कड़ सभाएं की, गलियों में महिलाओं से बात की तो हमने उनको कहा कि शराब बन्दी के बावजूद भी आपके पति, पुत्र शराब पी रहे हैं तो उनको आप रोकते क्यों नहीं। वे कहने लगी कि वे मानते नहीं तो हमने कहा कि फिर

क्या उनको तीन-तीन महीने के लिए जेल में बन्द कर दें तो वे कहने लगी ऐसा न करें इससे तो अच्छा है कि वे पी लें। This decision making policy forced the Haryana Government to scrap the policy of prohibition. एक बात यह आई कि क्या शराब बन्दी को समाप्त करते समय विपक्ष को विश्वास में लिया गया ? इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस दौरान जब से शराब बंदी शुरु हुई और खत्म हुई इस दौरान विधान सभा के जितने भी सत्र हुए उनमें मैक्सिमम शराब बंदी पर चर्चा हुई। सभी सम्मानित सदस्य समय-समय पर अपने विचार प्रकट करते रहे। (विघ्न) मेरा कहना है कि शराब बंदी हटाते समय हमने सभी से बात की। नुक्कड़ सभाएं की। गलियों में लोगों से बात की। तो हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि हमें शराब बंदी में लोगो के असहयोग के कारण कामयाबी नहीं मिली इसलिए इसको खोलना ही ठीक है क्योंकि जिन लोगों के मुंह पर शराब लग चुकी है उनसे यह छुटती नहीं है। इसके लिए हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जिस अच्छे प्रकार से इस शराब बंदी को छुड़वाने के लिए आन्दोलन बिल्डअप करना चाहिए था, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाये।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब * * * *

श्री अध्यक्ष : यह रिकार्ड न किया जाये।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि औरतें यह कहने लगी कि अच्छा है उनके पति आदि को बन्द करने की बजाये उनको शराब पीने दिया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि जो बेचने वाले थे क्या उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि हूच ट्रेजडी में जो लोग मारे गए हैं क्या सरकार उनको आर्थिक मदद देगी क्योंकि ये लोग सरकार की गलती के कारण मारे गये हैं। इस केस में यदि कोई सजा का पात्र है तो वह सरकार है क्योंकि सरकार ने शराब बन्दी को लागू करते समय व हटाते समय एक तुगलकी फैसला लिया था जिससे हमारे प्रदेश के नौजवान गुमराह हुए और प्रदेश में इसी कारण कानून व्यवस्था का सवाल उठा। अतः मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन लोगों को मुआवजा देगी जो लोग मारे गए हैं और जो नौजवान सरकार की गलती की वजह से इसमें फंसे हैं या जिन पर केस दर्ज हुए हैं, व विपक्ष की राय जाने बैगर सरकार ने जो फैसला किया है, उनके केस वापस लेगी ? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मेरी सभी बातों का जवाब दें।

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, डॉ० वीरेन्द्र पाल जी ने एक बात पूछी है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि यह सवाल हूच ट्रैजडी के बारे में उन्होंने पूछा है। This question has already been answered. I will not take time of the House in answering this question again. हूच ट्रैजडी के मामले का जहां तक ताल्लुक है, इस बारे में अलग सवाल भी लगा हुआ है उस सवाल का जवाब देते समय पूरी जानकारी हाउस में दे दी जाएगी।

Imposition of penality on farmers

***614. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether Haryana State Cooperative Sugar Mills have imposed any penality on the farmers for not supplying sugarcane to the mills in

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Shri Ram Pal Majra]

accordance with the agreement of bond during the period from 1997, 1998 to date; if so, the yearwise and millswise amount thereof; and

(b) whether the amount referred to in para (a) above has been disbursed to the farmers who supplied the sugarcane to the mills as per agreement of bond; if not, the reasons thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

(क) जी हां, अब तक बर्षवार व मिलवार किसानों पर लगाई गई जुर्माने की राशि निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	मिल का नाम	पिड़ाई सत्र 1996-97 (राशि लाख रुपयों में)	पिड़ाई सत्र 1997-98 (राशि लाख रुपयों में)
1.	पानीपत	1.94	0.05
2.	रोहतक	शुन्य	14.34
3.	करनाल	15.68	58.96
4.	सोनीपत	3.28	9.48
5.	शाहबाद	शुन्य	250.00
6.	जीन्द	शुन्य	31.27
7.	पलवल	7.17	9.00
8.	महम	शुन्य	शुन्य
9.	कैथल	शुन्य	19.26
10.	भूना	0.29	8.40
	कुल योग	28.36	400.76

(ख) (क) भाग में ऊपर वर्णित राशि पलवल चीनी मिल ने वितरित कर दी है तथा सोनीपत चीनी मिल पिड़ाई सत्र 1996-97 की राशि का वितरण कर रही है। दूसरी चीनी मिलों ने अभी राशि का वितरण करना है जिसके निम्न कारण हैं :—

1. पानीपत सहकारी चीनी मिल

मिल ने धन अभाव के कारण जुर्माने की राशि का वितरण नहीं किया है।

2. रोहतक सहकारी चीनी मिल

मिल ने 14.34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था जिसमें से 10.75 लाख रुपए का किसानों से वसूल किया जा चुका है तथा शेष राशि 3.59 लाख रुपये की अभी बसूली की जानी है। धन अभाव के कारण अदायगी नहीं की जा सकी है।

3. करनाल सहकारी चीनी मिल

करनाल मिल ने पिड़ाई सत्र 1996-97 में 15.68 लाख रुपए तथा 1997-98 में 58.96 लाख रुपये जुर्माना लगाया था जिसमें से क्रमशः 9.07 लाख रुपये तथा 9.22 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। इस राशि का वितरण शेष राशि की वसूली होने तथा लेखों के मिलान होने पर किया जाएगा।

4. सोनीपत सहकारी चीनी मिल

चीनी मिल ने पिड़ाई सत्र 1996-97 में 3.28 लाख रुपए का जुर्माना किया था जो वसूल किया जा चुका है। इस राशि का वितरण लेखों का मिलान करने पर शुरु किया गया था। दिनांक 17-7-98 तक 2.48 लाख रुपये का वितरण किया गया है। शेष राशि चालू महीने में बितरित कर दी जाएगी।

पिड़ाई सत्र 1997-98 के लेखों का मिलान किया जा रहा है।

5. शाहबाद सहकारी चीनी मिल

राशि का वितरण अभी इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जुमनि की राशि की अभी तक वसूली नहीं का जा सकी है।

6. जीन्द सहकारी चीनी मिल

पिड़ाई सत्र 1997-98 के दौरान मिल ने 31.27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जिसमें से 17.32 लाख रुपये बसूल किए जा चुके हैं। मिल के निदेशक-मण्डल ने एक मत के द्वारा गन्ना आयुक्त से गन्ना मिल को देने में छूट 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक प्रदान करने की प्रार्थना की है। गन्ना आयुक्त द्वारा इस मामले में आदेश जारी किए जाने पर जुर्माना राशि का बितरण किया जाएगा।

7. पलवल सहकारी चीनी मिल

मिल ने पहले ही पिड़ाई सत्र 1996-97 की जुर्माना राशि जो 7.17 लाख रुपये है वितरित कर दी है। पिड़ाई सत्र 1997-98 के दौरान जुर्माना की गई राशि जो 9.00 लाख रुपये बनती है का, बितरण लेखा मिलान की बजह से अभी नहीं किया जा सका है।

8. कैथल सहकारी चीनी मिल

पिड़ाई सत्र 1997-98 में लगाई गई जुर्माना राशि का वितरण इसलिए अभी लम्बित है चूंकि कैथल क्षेत्र के किसानों ने जुर्माना राशि से छूट प्रदान करने की प्रार्थना की है क्योंकि उन्होंने अपना सारा गन्ना मिल को दे दिया है। वे गन्ना उत्पादन में आई कमी के कारण बन्धित किया गया गन्ना नहीं उगा सके। किसानों की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए मिल प्रबन्धन संस्था ने ऐसे गन्ना उत्पादकों से 15-7-98 तक समझौता बन्ध के नियम 5 व 10 के अधीन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया। निदेशक मण्डल द्वारा इन प्रार्थना पत्रों पर अन्तिम निर्णय लेने पर जुर्माना राशि का वितरण किया जाएगा।

9. भूना सहकारी चीनी मिल

धन अभाव के कारण जुमनि की राशि का बितरण नहीं किया गया है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की गलत नीति के कारण जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उनकी डिलीवरी के समय लोडिंग-अन-लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन आदि में कटौती की गई, जिसकी बजह से वर्ष 1997-98 में गन्ने का उत्पादन कम हो गया और किसानों पर पैनल्टी लगाई गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या सरकार उस पैनल्टी को माफ करने बारे विचार करेगी ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि लोडिंग-अन-लोडिंग का फैसला शूगर मिलों पर छोड़ दिया गया है वे अपने लैवल पर इस बारे में जो भी चाहें फैसला कर सकती हैं।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, किसानों पर पैनल्टी लगाई गई है। शूगरमिलों के कड़े नियमों के मुताबिक अगर किसान 30 दिनों तक शूगर मिलों को बौंडिड गन्ने की सप्लाई नहीं करता तो उसको पनिशमैंट दी जानी चाहिए। यह किसानों के प्रति इस सरकार की हमदर्दी है। अगर गन्ने की सप्लाई किसान न करे तो उस पर पैनल्टी लगाई जाए, क्या इनका यह फैसला ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या इस पैनल्टी को माफ किया जाएगा ?

श्री नरबीर सिंह : जो पैनल्टी 1996-97 तक की है वह किसानों को अगस्त महीने तक वापिस दे दी जाएगी और जहां तक वर्ष 1997-98 का सम्बन्ध है, वह दिसम्बर तक जरूर दे दी जाएगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक जानकारी चाहूंगा। कैथल शूगर मिल के बारे में मेरा प्रश्न है। वे किसान जो गन्ना पैदा करते हैं प्राकृतिक विपदा के कारण उतना गन्ना पैदा नहीं कर पाए जितने गन्ने के लिए वे मिल के साथ बौंडिड थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या ऐसे सभी किसानों से जिनका गन्ना प्राकृतिक विपदा के कारण बौंडिड एग्रीमैंट के मुताबिक मिलों को नहीं दे पाए उन सभी की पैनल्टी माफ करने बारे मन्त्री जी विचार करेंगे ?

श्री नरबीर सिंह : अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, शिकायतें तो सारे प्रान्त से आ ही रही हैं।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि किसानों पर जो इतनी पैनल्टी लगाई जा रही है, हर किसान जो गन्ना पैदा करता है उसकी रिप्रैजैंटेशन है कि पैनल्टी न लगाई जाए, मेरा स्पैसिफिक सवाल है कि क्या मन्त्री जी वह पैनल्टी माफ कर देंगे ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पैनल्टी हमारी सरकार के वक्त में ही नहीं लगाई गई है बल्कि यह तो पिछली सरकारों के समय से चली आ रही है। श्री माजरा साहब ने दो साल का जवाब पूछा था इसलिए मैंने दो साल का जवाब ही सदन के पटल पर रखा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल का जवाब मेरे पास है कि करीब 2 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई गई है। जो दो साल की पैनल्टी लगाई गई है उसमें से 1996-97 तक की अदायगी अगस्त तक कर दी जाएगी और 1997-98 की पैनल्टी किसानों को दिसम्बर तक दे दी जाएगी। कुछ किसानों की बकाया राशि 10 या 15 रुपये पैंडिंग थी ऐसे लोग पैसे लेने के लिए नहीं आए। हमने यह आर्डर जारी कर दिए हैं और अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जिस किसी की जितनी भी राशि है चाहे वह 10 रुपये है या 15 रुपये है उसका ड्राफ्ट बनवा कर उसके घर भेज दिया जाए।

Construction of Roads

***618. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a bye-pass in Sonipat City; and

(b) if so, the time by which it is likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब में न कहा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सोनीपत की बाई-पास की सड़क तकरीबन बनी हुई है। मुश्किल से एक किलोमीटर का ही टुकड़ा बनने के लिए रह गया है और उसके लिए भी सरकार ने जमीन एक्वायर करने का प्रावधान कर रखा है। ये उसको कब तक बनवा देंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : देवराज दीवान जी आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी इसके लिए आश्वासन दें कि यह एक किलोमीटर का टुकड़ा कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, यह साढ़े नौ सौ मीटर का टुकड़ा है जोकि बनना है। इसमें सैक्शन 4 के बाद 6 और उस के बाद सैक्शन 9 किया जाता है, और फिर उसके बाद पौजैसन लिया जाता है। यह सब कुछ होने के बाद कार्यवाही की जाती है और इस सबको करने में 8-9 महीने तो जरूर लगेंगे।

श्री दिलूराम : अध्यक्ष महोदय, घग्गर नदी पर पुल बना था और इस बारे में मैंने पिछले सैशन में भी प्रश्न किया था।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें।

श्री दिलूराम : सर, आप मेरी बात तो सुन लें। अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ रुपये का यह पुल बना था और उससे आगे एक डेढ़ किलोमीटर की सड़क थी जब ये वहां पर आए थे तो इनका वहां पर बहुत मान सम्मान किया गया था इनको सरोपे भी दिए गए थे। उस वक्त ये आश्वासन देकर आए थे कि उस सड़क को ये तीन महीने में बनवा देंगे लेकिन आज तक वहां पर एक मिट्टी की टोकरी भी नहीं डाली गई है।

श्री अध्यक्ष : दिलू राम जी आप बैठ जाएं। यह इर-रैलेवैंट प्रश्न है।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सैशन के वक्त भी मंत्री जी से कहा था और इस बार भी कह रहा हूं कि मेरे राई हल्के में क्या ये किसी भी एक सड़क को बनवाने की कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज तक जितनी भी सड़कों के एस्टीमेट्स बने हैं उनके अन्दर भी राई हल्के को अपोजिशन का हल्का मान कर शामिल नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राई हल्के को क्यों छोड़ दिया गया है। आज तक जब से यह सरकार आई है वहां पर एक कंकर भी नहीं लगाया गया है जबकि सारी सड़कों में एक-एक, 2-2 फुट के गड्ढे हुए पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वहां पर सड़कें बनवाने का काम करवा देंगे, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इस बार क्या ये वहां पर कोई सड़क बनवाने का काम करवाएंगे।

श्री धर्मवीर यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कल के क्वैश्चन ऑवर में मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा कि हमने कितना पैच वर्क अब तक करवाया है। जहां तक ये अपने यहां सड़कों में डेढ़-डेढ़ या दो-दो मीटर गड्ढों की बात कर रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इन्होंने इस बारे में कभी भी लिखित रूप में जिक्र नहीं किया है। इनकी पार्टी के दूसरे सदस्य जैसे धीरपाल जी, बलवन्त सिंह जी यहां पर बैठे हैं और इन्होंने जिन-जिन सड़कों का जिक्र हमारे से किया था वे सब हमने ठीक करवायी है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या नारनौल में बाईपास के निर्माण का सरकार का कोई इरादा है और अगर है तो यह निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ? सर, अब तो शराब बंदी का निर्णय वापस लेने के बाद सरकार के पास फंडज भी अवेलेबल हो चुके होंगे।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, नारनौल के बाई पास के निर्माण के लिए कार्यवाही शुरु कर दी गयी है और मैं समझता हूं कि इस बारे में सैक्शन चार के नोटिस जल्दी ही इशु हो जाएंगे और उसके बाद लगभग इस काम पर साल लग जाएगा।

Construction of Boundary Wall

***642. Shri Kailash Chander Sharma :** Will the Minister for Health be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the boundary wall of the Civil Hospital, Narnaul has been collapsed during the last rainy season; and

(b) if so, the time by which the aforesaid wall is likely to be constructed?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) :

(क) जी हां।

(ख) चार दीवारी का निर्माण कुछ समय में करवाया जाना है।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : स्पीकर सर, मंत्री जी का धन्यवाद, लेकिन वे इस काम को थोड़ा जल्दी करवाएं।

श्री नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि स्टेट में जो पी०एच०सीज० या सी०एच०सीज० क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तो क्या सरकार उनको दोबारा से ठीक करवाने के लिए विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : स्पीकर सर, पूरी स्टेट में हम 261 जगहों पर चाहें वे पी०एच०सीज० हों या सी०एच०सीज० हों, उनकी मुरम्मत करवा रहे हैं और 23 तारीख को ही हमारे डिपार्टमैंट की इस बारे में एक मीटिंग इंजीनियर-इन-चीफ के साथ है। सर, मुझे नहीं पता कि इन 261 में से इनके यहां की सी०एच०सी० है या नहीं।

श्री सतेन्द्र सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार सैशन में भी मंत्री जी से कई बार रिक्वैस्ट की कि राजौन्द के अंदर हैल्थ सैंटर में कोई भी डॉक्टर नहीं है जबकि वहां पर डॉक्टर्ज की चार-चार पोस्ट सैंक्शंड हैं। उस सैंटर में दीवार की बात छोड़िए बल्कि वहां पर चार-चार फुट पानी खड़ा हुआ है। अगर ये वहां पर डॉक्टर्ज नहीं भेज सकते तो इससे अच्छा यही होगा कि ये वहां पर ताला लगवा

दें। मैंने पिछली बार भी इनसे इस बारे में कहा था और इस बार भी इनको इस सम्बन्ध में लिख दिया है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये कब तक वहां पर डॉक्टर्ज भेजने का कष्ट करेंगे।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न के साथ इनका यह पूछना जचता नहीं है। ये अगर अलग से पूछ लेते तो मैं इनको इस बारे में बता देता लेकिन फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकार वहां पर डॉक्टर्ज भेजने के बारे में हमेशा कोशिश करती रही है। हमने पिछली बार 250 डॉक्टर्ज की नौकरियां निकाली थीं लेकिन कुल मिलाकर हमारे पास 100 लोगों ने ही अपनी ऐप्लीकेशंज दी और उनमें से भी 50 लोग नहीं आये। बाद में 50 में से भी 25 डाक्टर्ज छोड़कर चले गए। लेकिन अब हमने फिर 330 डाक्टर्ज की नौकरियां निकाली हैं जिसके अब इंटरव्यू चल रहे हैं। जिस वक्त ये पूरे हो जाएंगे और हमें डॉक्टर्ज मिल जाएंगे उस वक्त हम उनको हैल्थ सैंटर्ज में लगा देंगे। इसके अलावा हम 150 डॉक्टर्ज को अपनी तरफ से कंट्रैक्ट बेसिज पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये लोग आ जाएंगे तब भी हम उनको जगह-जगह हैल्थ सैंटर्ज में लगा देंगे।

Hooch Tragedy

***629. Shri Sampat Singh :** Will the Minister for Home be pleased to state whether any incident of Hooch Tragedy occured in the state during the period from April, 1996 to-date; if so, the number and location there-of together with the number of persons died and become disabled on this account ?

Home Minister (Shri Mani Ram Godara) **:** Yes, Sir. A statement is laid on the table of the House.

Statement

Place/Location	No. of incidents	No. of persons died	No. of persons became disabled
1	2	3	4
Vill. Tugal Pur Distt. Yamunanagar	1	1	—
Khera Mohalla, Bilas Pur Distt. Yamunanagar	1	3	—
Vill. Bir Chhapar Distt. Yamunanagar	1	4	—
Vill. Munda Khera Distt. Yamunanagar	1	1	—
Vill. Taruwala Distt. Yamunanagar	1	—	1
Vill Ghisarpari Distt. Kurukshetra	1	2	3

[Shri Mani Ram Godara]

1	2	3	4
Vill. Budda Khera Distt. Hisar	1	6	—
Vill. Kurar (Dera Tehal Singh) Distt. Jind	1	3	—
Ishwar Colony, City Jind, Distt. Jind	1	1	—
Vill. Kheri Taloda Distt. Jind	1	7	—
Krishna colony, Palwal Distt. Faridabad	1	1	—
Vill. Mindkoal Distt. Faridabad	1	3	—
Vill. Daultabad Distt. Faridabad	1	1	—
Vill. Sambhli Distt. Karnal	1	7	—
Total	14	40	4

श्री संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है कि जहरीली शराब पीने से 14 इंसीडैंटस हुए हैं और इनमें 40 लोग मारे गए हैं। सर मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो इंसीडैंटस दिए हैं क्या वे पूरे हुए हैं, जैसे कई बार इनके पास पूरी इत्तिलाह नहीं आती इस बारे में इनके बयान भी आते रहते हैं इन्हें कोई इत्तिलाह नहीं देते, कई बार आफिसर्ज बताते नहीं। पानीपत जिले के समालखा कस्बे में 6 मौतें हुई हैं क्या वे इसमें नहीं जुड़ी हैं या आपको किसी ने बताया ही नहीं। हिसार शहर आपका अपना शहर रहा है वहां भी जहरीली शराब से दो मौतें हुई थी उनका भी इसमें जिक्र नहीं आ रहा है, पुंडरी ब्लॉक में भी एक मौत हुई है क्या यह लैक ऑफ इन्फर्मेशन है या आपका इंट्रैस्ट महकमे में नहीं है या आफिसर्ज का इन्ट्रस्ट आपको बताने में नहीं है दूसरे सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हूच ट्रेजडी में जो लोग मरे हैं इसका सीधा मतलब यही है कि इनकी जो प्रोहिबिशन की पॉलिसी थी वह नाकामयाब रही और नाकामयाब रहने की वजह से ये लोग इलिसिट डिस्टिलेशन में लगे और उसी वजह से लोग विक्टिम हुए, मरे और डिसेबल भी हुए। स्पीकर सर, जो लोग मरे हैं या डिसेबल हुए हैं उनके वारिसों को सरकार कोई कम्पेनसेशन देगी क्योंकि इसमें डायरैक्ट जिम्मेदारी सरकार की बनती है ?

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर साहब, ऑनरेबल मैम्बर ने जो बात पूछी थी वह मैंने बता दी कि हूच की बिनाह पर क्या ट्रेजडी हुई है अब किसने मुझे बताया, मेरे डिपार्टमैंट ने मुझे बताया। मैंने क्या बयान दिया इससे यह सवाल पैदा नहीं होता मैंने टेबल पर सारी इन्फर्मेशन इनके सामने रख दी है। इस मामले में अगर शराबबंदी के बावजूद अगर कोई आदमी शराब पीता है चाहे निकाल के पीता है, बैठ कर पीता है, इकट्ठे हो के पीता है तो वह ऑनरेबल मैम्बर के नोटिस में शायद हो, मेरे नोटिस में तो नहीं था इसलिए कोई कम्पनसेशन की बात नहीं है क्योंकि कोई खुदकुशी करना चाहे तो उसके लिए हम कम्पनसेशन नहीं देंगे। (विघ्न)

श्री संपत सिंह : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा था कि सरासर सरकार की अयोग्यता की वजह से यह ट्रेजडी हुई है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : संपत सिंह जी, आप सवाल पूछें। स्टेटमैंट न दें। (विघ्न)

श्री संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं इसमें जो गिरफ्तार हुए लोग हैं उनकी संख्या कितनी है और उनमें से इनकी पार्टी के कितने लोग हैं और विशेषकर इनके अपने हल्के के वर्कर कितने हैं, क्या उनमें इनके अपने हल्के के गांव शामसुख का रहने वाला रामकुमार नहीं है ? फिर ये कैसे कह रहे हैं कि अगर कोई आत्महत्या कर ले तो इसके लिए कोई कम्पनसेशन नहीं देंगे। स्पीकर सर, जहरीली शराब पैसा कमाने के लिए लोगों को पिलाई गई। उसके लिए डायरैक्ट जिम्मेदारी सरकार की बनती है इसलिए सरकार को मुआवजा देने के लिए विचार करना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप बैठ जाइए। (विघ्न) No statement please.

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : संपत सिंह जी जो कुछ कह रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैंने तीन सवाल पूछे थे नं० 1 कि कितने आदमी गिरफ्तार हुये, नं० 2 रामकुमार नाम का एक व्यक्ति जो शामसुख गांव का है क्या इनकी पार्टी का वर्कर नहीं था तथा नम्बर तीन शराब बन्दी के दौरान जो अवैध शराब बेची जाती थी उसको सरकार में व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाया हुआ था जिसमें मंत्रीमण्डल के सदस्यों, विधायकों के रिश्तेदार शामिल पाये गये थे ?

श्री मनीराम गोदारा : स्पीकर सर, जितने आदमी गिरफ्तार हुए थे इस स्टेटमेंट में बड़ा क्लीयर दिया हुआ है। (विघ्न)

Shri Sampat Singh : Speaker Sir, there is no information about the persons who have been arrested. It may be in the Note for Pad, which is for the assistance of the Minister and not for the House.

श्री मनीराम गोदारा : जिन आदमियों के नाम माननीय सदस्य ने लिए हैं वे इनके राज में सब्जी की दुकानों पर बच्चों के माध्यम से एक-एक पैग बेचने का काम करवाया करते थे और इनमें हमारा रामकुमार नाम का कोई वर्कर नहीं है। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, -- -- -- -- (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आप हमारे साथी रहे हैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाईये। सम्पत सिंह जी आप अपना सवाल पूछिये।

Dhirpal ji, when Shri Sampat Singh is on his legs and he is asking supplementary, why are you standing ?

श्री औम प्रकाश चौटाला : स्पीकर महोदय, जो पहले सवाल पूछे गये हैं कम से कम उनमें से एक का तो जवाब दीजिए। मंत्री जी पहले सवाल का ही जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी आप अपना सवाल पूछिये।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मेरे किसी सवाल का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है।

Sir, I have asked about the number of arrested persons, which the Minister has not replied. It may be in his Note for Pad. The Note for Pad is for the assistance of the Minister. It is not for the House.

श्री मनीराम गोदारा : स्पीकर महोदय, जो आदमी इनके राज में शराब का अवैध धन्धा किया करते थे उन सभी को हमने गिरफ्तार कर लिया है।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यह कोई जवाब नहीं है। यह केटेगरिकली जवाब दें।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा था कि कितने आदमी शराब बन्दी के दौरान मारे गये। यह जवाब माननीय गृह मंत्री जी ने दे दिया है अब ये पूछ रहे हैं कि गिरफ्तार कितने आदमी हुये हैं तो गिरफ्तार तो एक लाख के करीब हुये हैं हम किस-किस का नाम इनको जवाब में बतायें।

Appointment of Pension Officers

***633. Shri Krishan Lal :** Will the Minister of Social Welfare be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the government to appoint a Pension Officer in the offices of the Block Development and Panchayat Officers for the disbursement of widow and old age pension in the state ?

समाज कल्याण मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : जी नहीं।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या ब्लॉक लैवल पर पैंशन अधिकारी को बिठाने का किसी पूर्व सरकार के विचाराधीन कोई मामला था। मेरा कहने का उद्देश्य था कि चौधरी देवी लाल की सरकार ने 8.5 लाख लोगों को पैंशन दी थी जो कि मनी-आर्डर के माध्यम से उनके घरों में पहुंच जाती थी उसके बाद जो सरकारें आई, उनके समय में घटते-घटते अब यह संख्या नहीं के बराबर रह गई है। जहां तक विधवा पैंशन की बात है, उनको बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको इसके लिए जिला मुख्यालयों पर जाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह अनुरोध है कि ब्लॉक लैवल पर एक पैंशन अधिकारी बिठाया जाना चाहिए ताकि उन को किसी प्रकार की दिक्कत न आने पाए। क्या इस पर सरकार विचार करेगी ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि मंत्री महोदया ने अपना जवाब "नहीं" में दिया है। इसका क्या कारण है ?

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हर जिला मुख्यालय पर एक जिला कल्याण अधिकारी नियुक्त है। वैसे तो पैंशन वितरण के लिए आल-ओवर इंचार्ज डी०सी० को बनाया गया है जो यह देखते हैं कि सब जगहों पर पैंशन ठीक से वितरण हो रही है अथवा नहीं। चौधरी बंसी लाल की सरकार बनने के बाद हर महीने की 7 तारीख को पैंशन सभी पैंशनरों के घर पहुंचा दी जाती है। इसलिए मनी-आर्डर वगैरह की जरूरत ही नहीं रही है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर कोई अन्य अधिकारी नियुक्त करने की भी जरूरत ही नहीं रही है। क्योंकि हमारे पास पैंशन बांटने के लिए राजस्व विभाग व पंचायत एवं विकास विभाग के पर्याप्त कर्मचारी हैं। गांवों में पंचायत एंव विकास व राजस्व विभाग के कर्मचारी पैंशन बांटते हैं जबकि शहरों में नगरपालिकाओं के कर्मचारी पैंशन बांटते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई ऐसी शिकायतें व रिक्वैस्ट्स आई हैं कि पटवारी जो पैंशन वगैरह बांटने के लिए गांवों में जाते हैं, उनसे बदमाश लोगों ने पैसे छीन लिए ? क्या पटवारियों की तरफ से कोई ऐसी शिकायत अथवा रिक्वैस्ट आपके पास आई है कि जब तक आप हमें प्रोटैक्शन नहीं देंगे तब तक हम पैसे बांटने का काम नहीं करेंगे ? अगर ऐसी बात है तो इसके लिए आपने क्या किया है ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जींद जिले से ऐसी शिकायतें आई थीं। वहां पर पैसे की रिकवरी भी हो चुकी है और पटवारियों को प्रोटैक्शन देने के लिए विश्वास भी दिलाया जा चुका है।

श्री रामजी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जिला यमुना नगर से संबंध रखता हूं। इसी जिले से बहिन कमला वर्मा भी हैं। इन्होंने तो बड़े आराम से कह दिया कि हर महीने की 7 तारीख तक पैंशन वितरित कर दी जाती है जो ठीक नहीं है। इन के अपने ही जिले में 3.5 लाख रुपए पटवारी से छीन लिए गए। मेरी आपके माध्यम से इन से प्रार्थना है कि पटवारियों को सुरक्षा दी जाए। जहां तक 7 तारीख तक पैंशन बांटने की बात कही गई है, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे सढौरा हल्के में ऐसे सैंकडों केसिज़ हैं, जहां आज 21 तारीख तक भी पैंशन वितरित नहीं की गई है।

डॉ कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की लूटपाट अगर हो जाए तो एकदम तो पैसे उस जगह पर नहीं पहुंचाये जा सकते हैं। जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया है कि 3.5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं, वे पैसे वित्त विभाग से लेने पड़ेंगे तत्पश्चात् वितरित किए जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर एक जिले में पैसे ठीक समय पर नहीं पहुंचे हैं तो सारे हरियाणा में नहीं पहुंचे हैं। अचानक कोई एक-आध ऐसी मिस्हैपनिंग हो जाए तो देरी जरूर हो सकती है अन्यथा दूसरे जिलों में पैंशन पहुंचाने में देरी नहीं हुई है। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं जो काफी सीनियर है और विधायिका भी रही है कि सरकार बनने के बाद जो बहनें विधवा हो गई हैं उन्होंने दो बार आपके समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के पास पैंशन के लिए आवेदन दिए हैं और आवेदन देने के बाद उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। आप उसके बारे में उनको कोई आश्वासन दें ताकि उनको तीसरी बार आवेदन पत्र न भरना पड़े। इस प्रकार बुढ़ापा पैंशन के लिए जो बुजर्ग पात्र बनते हैं इन दो सालों के दौरान उनकी संख्या में कितनी बढ़ौतरी हुई है।

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी आप प्रश्न पूछें।

श्री धीरपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव यह है कि आप जिला स्तर की जगह ब्लाक स्तर पर पैंशन की कोई व्यवस्था करें।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इस वक्त हरियाणा प्रदेश में 7 लाख 15 हजार लोगों को वृद्धावस्था पैंशन मिल रही है और जितनी विधवाओं को पैंशन मिल रही है उनकी संख्या 2 लाख 36 हजार है जबकि पहले यह संख्या 2 लाख 24 हजार थी। महीने के किसी भी हफ्ते, किसी भी दिन विधवा और विकलांगों की जितनी एप्लीकेशन आती हैं तभी से उनकी पैंशन लागू हो जाती हैं। वृद्धावस्था पैंशन के लिए 2 साल के बाद सर्वे होता है। 1998 दिसम्बर और जनवरी, 1999 के अन्दर जितने भी नए फार्म वृद्धों के आएंगे उनको शामिल कर लिया जाएगा। विधवा और विकलांगों को दोबारा लिख कर देना पड़ा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात आपके नोटिस में आई है, तो आप लिखकर दें।

श्री धीरपाल सिंह : मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : विधवा पैंशन का जहां तक सम्बन्ध है भारत की कोई भी विधवा झूठ नहीं बोलती होगी। आप आवेदन करने के कितने महीने के बाद पैंशन देना शुरू करते हैं ?

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय जैसे ही उनका आवेदन पत्र प्राप्त होता है उसी महीने से उनको पैंशन देना शुरू कर देते हैं।

श्री धीरपाल सिंह : 6 सालों से ऐसे कितने ही केस पैंडिंग पड़े हैं, मैं आपको लिखकर दूंगा।

Completion of Roads

***661. Shri Ashok Kumar :** Will the Minister of State for Horticulture & Marketing be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the construction work of the following roads is lying incomplete :-

(i) Bapdi to Bhoot Majra;

(ii) Mathana to Daultpur;

(iii) Bir-Amin to Abla; and

(b) if so, the reasons thereof togetherwith the time by which the above said roads are likely to be completed ?

Horticulture and Marketing State Minister (Shri Jagbir Singh Malik) :

(a) The roads at Sr. No. (i) & (ii) are lying incomplete.

The road at Sr. No. (iii) has not been sanctioned or taken up for construction by the Haryana State Agricultural Marketing Board/ Market Committee.

(b) The road at Sr. No. (i) is lying incomplete due to registration of criminal case against some officials and the contractor. The work will be taken up after the decision of the Court.

The road at Sr. No. (ii) is lying incomplete due to non-availability of consolidation path and stay granted by the Civil Court. The construction work will be resumed after vacation of stay and availability of land from the land owners/village Panchayat free of cost.

श्री अशोक कुमार : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने मेन सवाल के ख भाग के जवाब के सीरियल नम्बर 1 में कहा है कि कुछ सड़कें कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज होने के कारण अधूरी पड़ी हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन सड़कों के बारे में कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, इस केस में जब तक एवीडैंस कम्पलीट नहीं हो जाती और कोर्ट से उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक इन सड़कों को नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट में केस लगा हुआ है और केस का जल्दी ही फैसला होने की सम्भावना है। ज्यों ही फैसला हो जाएगा उन सड़कों को पूरा करने का काम चालू कर दिया जाएगा।

श्री अशोक कुमार : स्पीकर साहब, इन सड़कों का पिछले 8 साल से काम बन्द पड़ा है। वहां पर मिट्टी डाली हुई है और रोड़ी पड़ी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन सड़कों को पूरा करवाने का काम क्या किसी ठेकेदार को दे कर पूरा करवाया जाएगा ?

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, इस बारे में शीघ्र ही विचार किया जाएगा कि प्रदेश में जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं उनको मुकम्मल करवाया जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के अंडर आती हैं और कुछ सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० के अंडर आती हैं। मैंने हरियाणा सरकार का एक पत्र देखा था जिसमें यह लिखा हुआ था कि हर विधान सभा हल्के की सड़कों की मुरम्मत के लिए सरकार की तरफ से दो-दो करोड़ रुपए देने का विचार किया जा रहा है। स्पीकर साहब फिर एक बात मेरे ध्यान में आई कि जो सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के हल्के हैं या गठबन्धन पार्टी के विधायकों के हल्के हैं उन हल्कों में वह राशि पहुंच गई लेकिन विरोधी पक्ष के विधायकों के हल्कों में वह राशि नहीं पहुंची है।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमैंटरी पूछें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं सप्लीमैंटरी ही पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के विधायकों के हल्कों में वह दो करोड़ रुपए की राशि कब तक पहुंच जाएगी ?

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से इस तरह की कोई राशि नहीं भेजी गई है और न ही वहां पर इस तरह का कोई प्रावधान है। माननीय सदस्य इस तरह की बात कह कर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

Providing of Domestic Water Connection

***674. Shri Dhir Pal Singh :** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide domestic water connection to the Dulhera & Badli villages of district Jhajjar ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री जगन नाथ) : जी नहीं।

मान्यवर अध्यक्ष जी, बादली हल्के के बादली गांव और जिला झज्जर के दुलहेड़ा गांव के अन्दर पीने के पानी के घरेलू कनैक्शन अभी नहीं दिए जा सकते।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के आखिरी लफ्जों पर काफी दबाव दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान गठबन्धन सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें पीने के पानी के घरेलू कनैक्शन देने की स्कीम सरकार ने चालू की हुई है और अब तक कितने कनैक्शन दिए जा चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष : और उनमें दुलहेड़ा शामिल है या नहीं।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर साहब, वह तो नहीं है। (हंसी) दुलहेड़ा तो मंत्री जी की ससुराल है। उस गांव के लोगों ने यह सोच कर इनकी शादी की थी कि ये मंत्री बनेंगे और इस गांव के लोगों को पीने का पानी मिलेगा लेकिन वह बात सम्भव ही नहीं है।

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, अगर मैं उस गांव को पीने के पानी के घरेलू कनैक्शन दे देता तो वह भेदभाव कहलाता (हंसी) हरियाणा प्रदेश में 1127 गांव ऐसे हैं जिनमें प्रति दिन 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी पहुंच रहा है इसलिए उन गांवों में पीने के पानी के घरेलू कनैक्शन दिए जा सकते हैं। अब तक हम 28,398 पीने के पानी के घरेलू कनैक्शन दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ससुराल का जिक्र कर रहे हैं।

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, मैं उनको वह भी बता दूंगा।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, जहां ससुराल हो उस गांव के लोगों के साथ बहुत ज्यादा सामाजिक सम्बन्ध होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा लगाव होता है। या तो उम्र का तकाजा है या ये बूढ़े हो गए हैं इसलिए उस गांव के लोगों के साथ ये नाराज हैं और उसके साथ-साथ इन्होंने मेरे से भी नाराजगी कर ली।

श्री जगन नाथ : उम्र का तो कोई रोला है नहीं। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, बादली एक बहुत बड़ा गांव है। वहां पर व दुलहेड़ा में पीने के पानी के कनैक्शन घरों को देने के बारे में सवाल उठा है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से वहां पर वाटर वर्कस बनाने के लिए दफा 4 और 6 के नोटिसिज इशू हो चुके थे। सारे कागज तैयार हो गए थे। केस कमीशनर साहब तक पहुंच गया था। लेकिन बीच में किसी ने एप्रोच किया और यह कहा गया कि यह जगह डिस्प्यूटिड है। आपको पता है कि सारे हरियाणा के अन्दर जहां पर ऐसे वाटर वर्कस बनाये जाते हैं तो वहां के लिए जमीन गांव देता है वहां की पंचायत देती है। जबकि हम तो वहां पर वाटर वर्कस लगाने के लिए जमीन एक्वायर कर रहे थे। वहां से धीरपाल जी को लोगों ने बार बार चुन करके भेजा है। उस गांव की आबादी 10 हजार है। ये दो एकड़ जमीन तक नहीं दे पाये। इसलिए यह वाटर वर्कस नहीं बन पाया। ये वहां पर हमें 3 एकड़ जमीन दिलवा दें तो इसी शनिवार या इतवार को मैं, धीरपाल जी व सम्पत सिंह जी जाएंगे और वहां पर पत्थर रख आएंगे । हम एक महीने में ही टैण्डर काल कर लेंगे और अगले डेढ़ महीने में वहां पर काम शुरू करवा देंगे। वहां पर चाहे एक करोड़ लगे या डेढ करोड़ का खर्चा आए, जमीन दे दें हम काम कर देंगे।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने बोलते हुए कहा कि क्या ये दो एकड़ जमीन नहीं दे सकते। मैं जानना चाहता हूं कि जो ये जमीन अपनी ससुराल वालों से मांग रहे हैं क्या यह इनके खिलाफ एन्टी डोरी का केस नहीं बनता। (हंसी)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने रिप्लाई में काफी कुछ बातें कहीं हैं। जब हमारे इलाके की बेटी इनको दी हुई है तो सभी कुछ दिया हुआ है। साथ ही जमीन देने के बारे में कहा कि जमीन नहीं दी गई। मैं सही बात कहूंगा कि ऐसी कोई बात हमारे ध्यान में आज तक नहीं आई कि ऐसी कोई डिस्प्यूट की जगह है और उसको बीच में रोक दिया गया है। पंचायत के पास जमीन है ही नहीं। (विघ्न) जो जमीन है वह गांव से काफी दूर है। यानि गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ड्रेन नं० 8 के साथ लगती है। यह स्कीम जब चौधरी भागी राम जी इस महकमे के मंत्री थे उस वक्त शुरू हुई थी। इस मामले में कब किसने स्टे लिया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहां तक मेरी जमीन का सवाल है मैं दो एकड़ जमीन या चार एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी जमीन के साथ नहरी पानी नहीं लगता। यह स्कीम नहरी पानी पर आधारित है। हमारी जमीन का पानी खारा है। वहां की आबादी अब 10 हजार की बजाय 15 हजार या इससे अधिक है क्योंकि यह इलाका देहली के साथ

लगता है। अगर यह स्कीम दुलहेड़ा, बादली या छारा में चालू हो जाती है तो उस इलाके को काफी फायदा हो सकता है। कोई भी सरकार जो काम करती है वह जनहित में काम करती है और उसका श्रेय संबंधित सरकार को जाता है। इस पर मैं ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता। यदि आप मेरे से इस काम के लिए जमीन लेकर वहां पर यह स्कीम नहरी पानी से शुरू करना चाहते हैं तो मैं दो एकड़ की बजाय चार एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हूं। ये मेरे बहुत सीनियर मोस्ट हैं। अगर ये रिश्ते के नाते दो एकड़ जमीन मांगते हैं तो उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी बहन बुढी हो गई है ये भात भी काफी ले चुके हैं। जब हमने इनको अपनी बहन दे दी है तो हम अपने बहनोई को ये दो एकड़ जमीन अगर मांगेगें तो दे देंगे। (हंसी)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : जो दूसरे आपके इलाके में ब्याह रखे हैं क्या उनको भी देंगे। (हंसी)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय जिन्होंने अपनी भानजी दे दी है तो सब कुछ दे दिया। यदि ये जमीन लेंगे तो वह भी दे देंगे। (हंसी) मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या वहां पर इस स्कीम को जल्दी पूरा किया जायेगा।

16.00 बजे अध्यक्ष महोदय मैं बिनती करता हूं कि सरकार इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे क्योंकि इस इलाके में बिल्कुल पानी नहीं है।

श्री जगन नाथ : स्पीकर सर, ये जो जिक्र कर रहे हैं इनके पास अगर वहां पर जमीन देने के लिए नहीं है तो हम जमीन एक्वायर करके इनके गांव में पानी देंगे लेकिन इस प्रोसैस में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा। जहां तक दुलहेड़ा का सम्बन्ध है, वहां पर पहले 40 लिटर प्रति व्यक्ति पानी देंगे और उसके बाद अगला प्रोसैस होगा।

Mr. Speaker : Questions hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Improvement in Primary Education

***676 Shri Dharam Bir :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is steep decline in the standard of Primary Education in the State as per study report of NCERT; if so, the reasons thereof; and

(b) whether State Government has received any guidelines from the Government of India to improve the standard of education particularly at primary level; if so, the details thereof ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम विलास शर्मा) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

Expenditure Incurred on the Water Works of Kasi-ka-Bas

***689. Shri Bhagi Ram :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

The dates on which the foundation stones of water works of kasi-ka-Bas, Dhani Lakhji and Balasar of Ellenabad Constituency were laid down together-with the total expenditure incurred thereon ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री जगन नाथ) : कासी-का-वास और ढाणी लखजी की जल वितरण योजनाओं का शिलान्यास 9-2-1991 को हुआ था। इन योजनाओं पर क्रमशः 5.59 लाख और 3.27 लाख रुपये खर्च हुए।

बालासर जल वितरण योजना के स्वतन्त्र जलघर का शिलान्यास 6-1-1991 को हुआ था। जांच नलकूप से मीठा पानी न मिलने पर इसका परित्याग कर दिया। जांच नलकूप पर 0.80 लाख रुपये खर्च हुए।

Leasing out the Land of M.C. Ambala

***684. Shri Anil Vij :** Will the Minister for Local Govt., be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the land belonging to Municipal Council, Ambala Cantt, is under un-authorised possession of the residents of Bazigar Colony, Balmiki Colony, Moora Basti, Rangia Mandi, Gujarati Colony, Ghasiara Colony and Dera Basti for the last many years; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to sell or lease out the said land to the residents of the colonies as referred to in part (a) above ?

स्थानीय शासन मन्त्री (डा० कमला वर्मा) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) प्रस्ताव का उपायुक्त के स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है। उपायुक्त/मण्डल आयुक्त की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त सरकार के स्तर पर विचार किया जायेगा।

Repair of Watercourse

***698. Shri Virender Pal Ahlawat :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that the watercourse which off takes from Ismaila Minor at RD 2056 has been damaged during the flood of 1995; if so, the time by which the said watercourse is likely to be repaired ?

राज्य शिक्षा मन्त्री (श्री हर्ष कुमार) : इसमाईला रजबाहू पर इस नं० का कोई (मोगा नं० 2056) खाला नहीं है।

Declaration of Jind as 'A' Class City

***714. Shri Ram Phal Kundu :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Jind as 'A' Class City ?

राजस्व मन्त्री (श्री सूरजपाल) : जी नहीं।

Widening of Roads

***700. Shri Nafe Singh Rathee :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the following roads :—

  (i) Bahadurgarh to Kharkhoda via-Sohti (District Sonipat).

  (ii) village Asoda Railway crossing to Kharkhoda (District Jhajjar); and

(b) if so; the time by which the aforesaid roads are likely to be widened?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मबीर यादव) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उपरोक्त क अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

Upgradation of Govt. Primary School, Simli

***678. Shri Balwant Singh Maina :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Govt. Primary School, Simli to Govt. Middle School in district Rohtak.

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : जी नहीं।

Hathni Kund Barrage

***727. Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state the time by which Hathni Kund Barrage is likely to be completed together-with the present stage of construction ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार) : हथनीकुण्ड बैराज का निर्माण कार्य तथा उससे जुड़े हुए कार्य 23 सितम्बर 1999 तक पूरा करना का लक्ष्य है। 30 जून, 1998 तक पूरे काम का 67 प्रतिशत भाग पूरा कर लिया गया है।

Number of Posts of Teachers in the Schools

***730. Shri Jaswinder Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) schoolwise total number of sanctioned posts of teachers in Middle, High and 10+2 schools in Pehowa constituency at present;

(b) whether any posts out of those as referred to in part (a) above are lying vacant; if so, the schoolwise number thereof; and

(c) the time by which the vacant posts as referred to in part (b) above are likely to be filled up ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) तथा (ख) स्कूलवार अध्यापकों के पदों की संख्या तथा रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार से है :-

स्कूल का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3
राजकीय माध्यमिक विद्यालय		
1. डिबाना	6	0
2. कालसा	7	3
3. जखवाला	5	0
4. सुदपुर	6	1
5. सायना सैदान	6	0
6. इश्क	7	1
7. ककराला गुजरान	6	1
8. थूलगढ़	5	2
9. सतौरा	5	0
10. उदरासी	6	1
राजकीय उच्च विद्यालय		
1. बोधनी	13	2
2. मलिकपुर	9	2
3. जलबेड़ा	11	2

1		2	3
4.	ठसका मिरांजी	12	1
5.	भूस्थला	12	3
6.	अजराना कलां (कन्या)	11	0
7.	धूराला	16	0
8.	हसनपुर	11	0
9.	लूखी	12	0
10.	बाखली	16	0
11.	स्योंसर	11	2
12.	भटमाजरा	10	1
13.	उरनाए	10	2
14.	पेहवा	23	0
15.	सन्धौली	10	0
16.	मुरतजापुर	14	2
17.	भोरसैदान	11	0
18.	बलाही	15	0
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय			
1.	हरीगढ़ भोरख	22	4
2.	अजराना कलां	27	3
3.	गुमथला गडू	25	9
4.	थाना	21	4
5.	पेहवा (कन्या)	34	2

(ग) रिक्त पदों को शीघ्र ही भर दिया जायेगा।

Number of Vehicles Challaned/Impounded

***737. Shri Mani Ram, M.L.A. :** Will the Minister for Transport be pleased to state the total number of vehicles including the buses of Haryana Roadways challaned/impounded under Motor Vehicle act during the last two years togetherwith the revenue collected therefrom ?

D.O.No. 4/4/98-ST (1)

KRISHANPAL GUJJAR

Transport Minister
Haryana, Chandigarh.

Dated 21-7-98

Subject :- Starred A.Q. No. *737-tabled by Sh. Mani Ram, M.L.A., regarding No. of vehicles challaned/impounded.

Hon'ble Speaker,

Kindly refer to the subject cited above.

A photo copy of the Starred Assembly Question No. *737 tabled by the Hon'ble M.L.A. is enclosed for ready reference. The information sought by the Hon'ble member would involve collecting information from the various General Managers, Haryana Roadways and Secretaries, R.T.As for the last two years. It involves collection of volumenous data from various sources and thus it is estimated that it would require atleast one month to compile the said information.

In view of the above, it is requested that the Government may be allowed one month's time to submit reply to this question.

The approval of the Chief Minister has also been obtained.

Yours faithfully,

sd/-

(Krishan Pal)

Prof. Chattar Singh Chauhan,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh.

Supply of Electricity to Tubewells on Slab System

***608. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the supply of electricity to Agricultural tubewells on concessional rates/slab system has been reintroduced; if so, the reasons thereof, together with the tariff being charged under the said scheme ?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : हां श्रीमान् जी, एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

किसानों के विभिन्न वर्गों द्वारा बिजली की मांग के कारण दिनांक 1-5-98 से समस्त राज्य में कृषि सम्बन्धित टयूबवैलों को रियायती दरों/स्लैब प्रणाली पर बिजली की आपूर्ति पुनः प्रारम्भ की गई है।

दिनांक 1-5-98 से प्रारम्भ किया गया रियायती टैरिफ/दर निम्न प्रकार है।

टयूबवैलों की गहराई फीट में

	100 फीट तक	101 से 150 फीट तक	151 से 200 फीट तक	200 फीट से ऊपर
मीटर्ड टयूबवैल्स	50 पैसे प्रति यूनिट	38 पैसे प्रति यूनिट	31 पैसे प्रति यूनिट	23 पैसे प्रति यूनिट
प्रति बी०एच०पी० वार्षिक कम से कम चार्जिज	540 रुपये	410 रुपये	335 रुपये	248 रुपये
अनमीटर्ड टयूबवैल्स	65 रुपये प्रति बी०एच०पी० प्रति मास	50 रुपये प्रति बी०एच०पी० प्रति मास	40 रुपये प्रति बी० एच० पी० प्रति मास	30 रुपये प्रति बी०एच०पी० प्रति मास

Completion of Roads

***615. Shri Ram Pal Majra :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether it is fact that the construction work of the roads from village Songari to Taragarh and Dhos to Mundhri in Distt. Kaithal are lying incomplete; and

(b) if so, the reason thereof, togetherwith the time by which the aforesaid roads are likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) :

(क) धोस से मून्दड़ी सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। सोंगरी से तारागढ़ सड़क निर्माणाधीन है।

(ख) सोंगरी से तारागढ़ सड़क एक दोहरी लिंक है। मिट्टी का कार्य और ईंटें बिछाने का कार्य हाथ में ले लिया गया है और 31-3-99 तक पूर्ण होने की सम्भावना होगी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Electricity Connections for Tubewells

38. Shri Kailash Chander Sharma, M.L.A. : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of applications for electricity connections to tubewells lying pending in district Mahendergarh at present;

(b) the Sub-division wise number of test reports for releasing of electricity connections to tubewells are pending in District Mahendergarh togetherwith the dates since when these are lying pending;

(c) the yearwise total number of electricity connections to tubewells released during the last five years; and

(d) the time by which the aforesaid remaining electricity connections are likely to be released ?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : श्रीमान् जी। एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) महेन्द्रगढ़ जिला की बिजली आपूर्ति परिचालन मंडल नारनौल द्वारा की जाती है तथा परिचालन मंडल महेन्द्रगढ़, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के परिचालन मंडल नारनौल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दिनांक 31-5-98 की समाप्ति तक इस जिला में ट्यूबवैल कनैक्शनों के 944 आवेदन पत्र लम्वित पड़े हुए हैं।

(ख) नारनौल परिमंडल में ट्यूबवैलों के कनैक्शनों के लिए उपमंडल अनुसार लम्वित पड़ी टैस्ट रिपोर्टों की संख्या तथा लम्बित होने की अवधि निम्न प्रकार है :

उपमंडल का नाम	दि० 31-5-98 की समाप्ति तक लम्बित पड़ी टैस्ट रिपोर्ट की संख्या	जबसे लम्बित पड़ी है वह तिथि
परिचालन मंडल नारनौल		
सिटी उपमंडल नारनौल	2	5/96
सबअर्बन सब डिवीजन नारनौल	96	1/92
अटेली	218	6/93
नंगल चौधरी	58	7/96
कुल	**374**	
परिचालन मंडल महेन्द्रगढ़		
सिटी उपमंडल महेन्द्रगढ़	183	9/89
सबअर्बन सब डिविजन महेन्द्रगढ़	11	2/98
सब डिवीजन कनीना	222	12/89
	416	
कुल योग	**790**	

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान महेन्द्रगढ़ जिला में वर्ष अनुसार ट्यूबवैलों के जारी किए गए कनैक्शनों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	
1993-94	405
1994-95	169
1995-96	405
1996-97	318
1997-98	215

(घ) ट्यूबवैल को बिजली का कनैक्शन देने में काफी लागत लगानी पड़ती है तथा इसके लिए काफी धन की आवश्यकता पड़ती है। काफी संख्या में नए कनैक्शन देने से पहले मौजूदा प्रसार एवं वितरण प्रणाली की क्षमता का विस्तार करने की आवश्यकता है। सभी स्त्रोतों से चालू बिजली की उपलब्धता भी सीमित है। धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए कनैक्शन प्रतिवर्ष वार्षिक लक्ष्य के अनुसार दिये जाते हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान 3000 ट्यूबवैल कनैक्शन देने की योजना है जिसमें से 200 कनैक्शन महेन्द्रगढ़ जिला में देने की योजना है।

Amount Spent on the construction/repair of Roads

39. Shri Sampat Singh : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) the details of the amount spent on the construction/repair of roads during the period from May, 1996 to March 1997, April, 1997 to March, 1998 and April, 1998 to date in Fatehabad and Bhattu Kalan constituencies;

(b) the total amount spent on the repair of the Hisar-Ukalana-Narwana-Kaithal section of the Hisar-Chandigarh highway during the above said period; and

(c) the total amount spent on the repair of the National Highway No. 10 between railway crossing outside Jindal Strips and the Octrio Post outside Rawalwasia Ispat Udhyag, Hisar during the period mentioned in part (a) above ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मबीर यादव) :

(क) फतेहाबाद तथा भट्टू कलां निर्वाचन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण/मरम्मत पर खर्च हुई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

निर्वाचन क्षेत्र	5/96 से 3/97		4/97 से 3/98		4/98 से 6/98	
	निर्माण	मरम्मत	निर्माण	मरम्मत	निर्माण	मरम्मत
फतेहाबाद (रु० लाखों में)	6.07	68.46	33.30	81.80	0.85	15.74
भट्टू कला (रु० लाखों में)	59.99	108.41	29.13	103.73	4.34	19.93

(ख) इस अवधि के दौरान हिसार-चण्डीगढ़ राजमार्ग के हिसार-उकलाना, नरवाना-कैथल सैक्शन की मरम्मत पर खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

अवधि	4/96 से 3/97	4/97 से 3/98	4/98 से 6/98
राशि (रु० लाखों में)	91.85	62.15	39.54

(ग) जिंदल स्ट्रिप्स के बाहर रेलवे क्रासिंग तथा रावलवासिया इस्पात उद्योग, हिसार के बाहर चुंगी चौकी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर इस अवधि के दौरान मरम्मत पर खर्च की गई कुल राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

अवधि	4/96 से 3/97	4/97 से 3/98	4/98 से 6/98
राशि (रु० लाखों में)	17.36	14.62	0.12

Road Accidents Occured in the State

40. Shri Sampat Singh : Will the Minister for Home be pleased to state —

(a) the total number of road accidents took place in the state during the period from April, 1995 to March, 1996, April, 1996 to March, 1997, April, 1997 to March, 1998 and April, 1998 to-date togetherwith the number of Haryana Roadways Buses involved therein ;

(b) the total number of persons died or injured in the accidents referred to in part (a) above;

(c) the amount of compensation; if any, given to the injured persons and the families of the deceased referred to in part (b) above; and

(d) the steps taken or proposed to be taken to prevent the road accidents?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) :

(क)

	1995-96	1996-97	1997-98	अप्रैल, 1998 से आज तक
सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	6683	6652	6837	2297
दुर्घटनाओं में संलिप्त हरियाणा राज परिवहन की बसों की संख्या	571	495	555	154
(ख) व्यक्तियों की संख्या जो दुर्घटनाओं में				
(i) मारे गये	2373	2398	2377	796
(ii) जख्मी हुए	6389	6487	7389	2345
(ग) मृतकों के परिवारों और जख्मी हुए व्यक्तियों को दी गई क्षति-पूर्ति की राशि (लाखों में)	822	1207.46	1065.43	319.49

नोट : उपरोक्त आंकड़े सम्बन्धित वर्ष के दौरान मोटर एक्सीडैन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित की गई राशि के अनुसार हैं।

(घ) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :-

1. अति तेज गति से चलने वाले बाहनों को चैक करना और उनका चालान करना ।
2. राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सहायता चौकी बनाई गई है।
3. यातायात पुलिस द्वारा बिभिन्न स्थानों पर वाहनों की चैक करना।
4. राष्ट्रीय राज मार्ग पर चलती -फिरती पैट्रोलिंग पार्टी गठित की गई है।
5. उचित स्थानों पर 'ग्लो साईन' बोर्ड और रोड साईन बोर्ड लगाये गये हैं।
6. यातायात के नियमों के पोस्टर लगाये गये हैं तथा जनता को ट्रैफिक नियमों की जानकारी हेतु बांटे भी गये हैं।
7. यातायात आयुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में गति नियन्त्रक यन्त्र लगा दिये गये हैं। चालकों की आंखों का मैडीकल परीक्षण उनकी दृष्टि जांचने के लिए किया जाता है। चालकों के लिए रिफरैशर कोर्स भी चलाये गये हैं। चालकों में सुरक्षित एवं बचावपूर्ण तरीके से बस चलाने की भावना को प्रोत्साहित किया गया है।

Number of Persons Registered with the Employment Exchanges

41. Shri Sampat Singh : Will the Minister for Labour & Employment be pleased to state—

(a) the number of unemployed persons registered with the Employment Exchanges in the state as on March 31, 1996 and at present;

(b) the number of persons out of those referred to in part (a) above who are graduate, post-graduate, diploma or degree holders in Engineering separately; and

(c) the number of persons out of those as referred to in part (a) above to whom the employment has been given during the period from May, 1996 todate ?

श्रम एंव रोजगार मंत्री (श्री रमेश चन्द्र कौशिक) :--

(क) 31 मार्च, 1996 व 31 मई, 1998 को राज्य के रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :

अवधि	बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या
31-3-96	706177
31-5-98	778390

(ख) उपरोक्त के भाग "क" में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होल्डरज व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या निम्न प्रकार से है :—

अवधि	बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या			
	स्नातक (फ्रेशरज)	स्नातकोत्तर (फ्रेशरज)	डिप्लोमा होल्डरज	डिग्री होल्डरज
31-3-96	33269	7625	4897	1526
31-5-98	35810	8571	5019	1879

(ग) उपरोक्त के भाग "क" में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से अवधि 1-5-96 से 31-5-98 तक राज्य के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 36033 व्यक्तियों को रोजगार दिलवाया गया है।

Number of posts lying vacant in Haryana Police

42. Shri Sampat Singh, M.L.A. : Will the Minister for Home be pleased to state the total number of posts in Group 'A', 'B', 'C' & 'D' lying vacant in Haryana Police/HAP at present separately ?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : हरियाणा पुलिस/हरियाणा सशस्त्र पुलिस में ग्रुप 'ए', 'बी', 'सी', व 'डी' के कुल रिक्त पदों की संख्या निम्नलिखित है :-

	ग्रुप	रिक्त पदों की संख्या
1.	ग्रुप 'ए'	12
2.	ग्रुप 'बी'	27
3.	ग्रुप 'सी'	2163
4.	ग्रुप 'डी'	124
	कुल संख्या	2326

Providing of Compensation

43. Shri Dharam Bir : Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state---

(a) the total acreage of land acquired by the HUDA in Gurgaon constituency so far; and

(b) whether the compensation has been given to the owners of the land as referred to in part (a) above particularly of Vazirabad, Jharsa and Dundahera villages; if not, the reasons thereof ?

नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) :

(क) 10180 (दस हजार एक सौ अस्सी) एकड़।

(ख) भूमि अर्जन कलैक्टर द्वारा दिये गये पंचाट के अनुसार अधिकतर भूमि मालिकों, जिनकी भूमि गांव झाड़सा, वजीराबाद एवं डुण्डाहेड़ा सहित मुआवजे की आफर दी जा चुकी है फिर भी मुआवजे की शेष राशि 2,58,96,583/--रुपये की जो ग्राम झाड़सा से सम्बन्धित है अदा की जानी बाकी है क्योंकि यह राशि कोर्ट के आदेशों के अन्तर्गत अन्य भूमि मालिकों को दे दी गई थी। यह राशि अब शीघ्र अदा की जा रही है।

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा----

(i) चेयर पर्सनज के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairpersons:-

1. Shri Kapoor chand Sharma
2. Shri Narpender Singh
3. Shri Bijender Singh Kadiyan
4. Shri Balwant Singh Maina.

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the committee on Petitions:-

1.	Shri Faquir Chand Aggarwal, Deputy Speaker	Ex-Officio Chairman
2.	Shri Narpender Singh	Member
3.	Shri Somvir Singh	"
4.	Shri Anand Kumar Sharma	"
5.	Shri Siri Kishan Hooda	"

(iii) सदस्य द्वारा त्यागपत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 58(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to inform the House that Shri Bhajan lal, Ex-M.L.A. (now M.P.) has resigned from his seat in the Haryana Legislative Assembly vide his letter dated 19th March, 1998 and the same has been accepted by me from the said date.

(ख) सचिव द्वारा

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी।

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

Mr. Secretary : Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Sessions held in February-March, 1996, March-July, 1997 and January, 1998 and have since been assented to by the President/Governor.

February-March Session, 1996

*1. The Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1996.

March-July Session, 1997

*1. The Haryana State Electricity Reform Bill, 1997.

January Session, 1998

1. The Haryana Non-Biodegradable Garbage (Control) Bill, 1998.
2. The Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill, 1998.
3. The Haryana Appropriation, Vote-on-Account, (No. 2) Bill, 1998.
4. The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1998.
5. The Haryana Appropriation (No.1) Bill, 1998.

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

Mr. speaker : Hon'ble members, Now I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

The Committee met at 11.00 A.M. on Tuesday, the 21st July, 1998 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

However, on Tuesday, the 21st July, 1998, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn after the conclusion of business entered in the list of business for the day. The committee also recommends that on Wednesday, the 29th July, 1998, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business from 21st July, 1998 to 24th July, 1998 and from 27th July, 1998 to 29 July, 1998 be transacted by the Sabha as under:-

Tuesday, the 21st July, 1998 (2.00 P.M.)	1. Oath/affirmation. 2. Obituary references. 3. Questions Hour. 4. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 5. papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 6. Presentation of two Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extention of time for presentation of the final reports thereon. 7. Presentation of Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1993-94. 8. Presentation of Budget Estimate for the year 1998-99.
Wednesday, the 22nd July, 1998 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 30. 3. General discussion on the Budget Estimates for the year 1998-99.

[Mr. Speaker]

Thursday, the 23rd July, 1998 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 1998-99.
Friday, the 24th July, 1998 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 1998-99.
Saturday, the 25th July, 1998	Off day.
Sunday, the 26th July, 1998	Holiday.
Monday, the 27th July, 1998 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Papers to be laid on the Table of the House. 3. Reply by the Finance Minister on the Budget Estimates for the year 1998-99. 4. Legislative Business.
Tuesday, the 28th July, 1998 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Discussion and Voting on Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1993-94. 3. Discussion and Voting on Demands for Grants on the Budget Estimates for the year 1998-99. 4. Legislative Business.
Wednesday, the 29th July, 1998 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die. 4. Appropriation Bill in respect of Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1993-94.

5. Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1998-99.
6. Legislative Business.
7. Any other Business.

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Parliamentary Affairs Minister (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move---

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved---

> That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बजट अधिवेशन है और सिर्फ सात सिटिंग्ज़ ही रखी हुई हैं। इसके साथ ही लैजिसलेटिव बिजनैस हर दिन रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि लैजिसलेटिव काम काफी है। 22 तारीख को बजट पर डिस्कशन के बाद लैजिस्लेटिव बिजनैस है और 24 तारीख को बजट पर डिस्कशन के बाद लेजिस्लेटिव बिजनैस है इसी तरह से 27 और 28 तारीख को भी लेजिस्लेटिव बिजनैस है। अध्यक्ष महोदय हम और आप पहले भी इस सदन के सदस्य रहे हैं लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जिस दिन बजट पर डिस्कशन हो उस दिन उसको कन्कलूड किए बिना कोई बिजनैस नहीं होता है। यह जो रिपोर्ट है इससे ऐसा लगता है कि यह सरकार ने बना कर दे दी है। स्पीकर सर, चार दिन लैजिस्लेटिव बिजनैस के हैं उनको अलग से रखना चाहिए था। जिस दिन बजट पर डिस्कशन होनी है उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप टैंटेटिव रिपोर्ट ही पढ़ रहे है आप फाईनल रिपोर्ट जो है उसको पढ़ें।

श्री सम्पत सिंह : सर, हमें यही रिपोर्ट मिली है और मैं उसी को पढ़ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप दो पेज वाली रिपोर्ट पढ़ें।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यह हमें अभी मिला है और इसमें भी यही कुछ है। यह जो फाईनैंस मिनिस्टर की रिप्लाई है इसमें भी दे रखा है- "Reply by the Finance Minister on the Budget Estimates for the year 1998-99 and Legislative Business". यह आपके नए प्रोग्राम में है। इनकी रिप्लाई के बाद भी लैजिस्लेटिव बिजनैस रखा है। इसमें मैम्बर्ज के लिए टाईम नहीं होगा। पहले दिन बजट पेश करेंगे, एक दिन मिनिस्टर साहब उसकी रिप्लाई देंगे और उस पर डिस्कशन के दो ही दिन हैं। स्पीकर साहब, जनरल डिस्कशन कब होगी। इसके अलावा आपने नौन आफिसियल डे को भी कन्वर्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, पहले आप इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ तो लीजिए।

Vidhan Sabha Secretariat ★ Chandigarh ★ Haryana
LIBRARY

श्री सम्पत सिंह : सर, यह तो आपने दी ही अभी है फिर हम इसको कैसे पढ़ें। इस रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि नौन ओफिशियल डे को भी ओफिशिएल डे में कंवर्ट करके उसका कत्ल कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की मिटिंग में यह सब डिस्कशन हुई है आपकी पार्टी के लीडर तो उस मीटिंग में पहुंचे नहीं थे, उस मीटिंग में ही नौन ओफिशिएल डे को ओफिशियल डे में कंवर्ट कर दिया गया था क्योंकि उस दिन कोई भी प्राईवेट रैजोल्यूशन नहीं था, इसके अलावा अब इस बारे में रूल्ज भी अमैंड हो चुके हैं इसलिए आप अब नये रूल्ज की कॉपी देखिए।

श्री सम्पत सिंह : सर, ये नये रूल्ज की कॉपी भी हमें आज ही मिली है।

श्री अध्यक्ष : आप अभी नये आए हैं इसलिए आपको पता नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : फिर आप ही बता दें कि यह दो साल से किसको दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : ये रूल्ज अभी ही प्रिन्ट हुए हैं।

श्री सम्पत सिंह : लेकिन क्या दो साल से कभी किसी मैम्बर्ज को यह रूल्ज दिए हैं। ये रूल्ज की कॉपी तो पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर को भी सप्लाई नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, ऐसा है कि चौधरी बिरेन्द्र सिंह जी जो यहां बैठे हुए हैं इसलिए इनको पता है क्योंकि ये उस रूल्ज कमेटी के मैम्बर थे। एक रूल्ज कमेटी बनी थी। पिछले सैशन में यह अमैंडमैंटस ऐप्रूव हुई है और इस सैशन में आपको इन रूल्ज की कॉपी मिल गई है।

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इसी तरह से डिमांडज पर भी बोलने के लिए ज्यादा टाईम होना चाहिए। पिछला सैशन गए 6 महीने हो गए। यह तो एक मैंडेटरी सैशन था। पहले 21 तारीख को ही सैशन खत्म हुआ था और अब 21 तारीख को ही यह सैशन ये सरकार लेकर आ रही है। इसलिए सर, मैम्बर्ज के पास बहुत थोड़ा समय ही अपनी अपनी बातें कहने के लिए मिलता है। मैम्बर्ज को यही मौका अपनी बातें कहने के लिए मिलता है। इसलिए मैम्बर्ज के पास टाईम बहुत ही थोड़ा है। स्टेट के बहुत सारे बर्निंग इशुज हैं।

पिछले 6 महीनों में बहुत सारी बातें स्टेट के अंदर हुई हैं इसलिए उनको यहां पर कहने में बहुत टाईम लगेगा। कल को फिर आप मैम्बर्ज को बोलने के लिए टाईम नहीं दे पाएंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप इस समय को बढ़ाएं।

Mr. Speaker : Question is---

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Motion was carried.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now a Minister will lay and relay the papers on the Table of the House.

Papers to be laid/relaid on the Table of the House

Minister of State for Power (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to lay on the Table :

The Punjab Excise (Haryana Third Amendment) Ordinance, 1998 (Haryana Ordinance No. 1 of 1998) alongwith Haryana Government Order dated 27-3-98 withdrawing the said Ordinance.

The Punjab Excise (Haryana Fourth Amendment) Ordinance, 1998 (Haryana Ordinance No. 2 of 1998).

Minister of State for Power (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to relay on the Table:

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 11/H.L.A. 20/73/S.64/97, dated the 14th March, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 37/H.A. 20/73/S.64/97, dated the 28th May, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R.39/H.A./20/73/S.64/97, dated the 28th May, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R.40/H.A.20/73/S.64/97, dated the 3rd June, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R.22/Const./Art. 320/Amd. (1) /97, dated the 11th April, 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1997 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R.33/H.A.3/70/S.8 and 9/97, dated the 15th May, 1997 regarding the Haryana Ministers Travelling Allowances (Amendment) Rules, 1997 as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 56/Const. Art. 320/97, dated the 31st July, 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulation, 1997 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (Political Branch) Notification No. G.S.R.60/H.A.3/1970/S.9/97, dated the 13th August, 1997 regarding the Haryana Ministers Travelling Allowances (Second Amendment) Rules, 1997 as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

[Shri Attar Saini]

The General Administration Department (Political Branch) Notification No. G.S.R. 61/H.A.3/1975/S. 8/97, dated the 13th August, 1997 regarding the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Allowances Rules, 1997 as required under Section 8(2) of the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 86/Const./Art.320/Amd.(3)/97, dated the 17th November, 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1997 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 100/H.A.20/73/S.64/97, dated the 17th December, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R.101/H.A.20/73/S.64/97, dated the 18th December, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Sixth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Minister of State for Power (Shri Attar Singh Saini) :

Sir, I beg to lay on the Table :

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R.17/H.A.20/73/S.64/98, dated the 10th March, 1998 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1998 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition Excise and Taxation Department order No. S.O.82/P.A.16/1955/S.11/98, dated the 22nd June, 1998, as required under Section 20(3) of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955.

The Prohibition Excise and Taxation Department order No. S.O.83/P.A.16/1955/S.3/98, dated the 22nd June, 1998, as required under Section 20(3) of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955.

The Memorandum of Action Taken on the Annual Report of National Human Rights Commission for the year 1995-96 as required under Section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The Administrative Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1995-96 as required under Section 75(1) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The Annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1998-99 and revised Estimates for the year 1997-98 as required under Section 61(3) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The 30th Annual Report and Accounts of Haryana Agro-Industries Corporation Limited for the year 1996-97 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 23rd Annual Report for the year 1996-97 of the Haryana Seeds Development Corporation Limited as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 25th Annual Report of the Haryana Tanneries Limited for the year 1996-97 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 23rd Annual Report of the Haryana Concast Limited for the year 1996-97 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The Statutory Recommendations of National Commission for Minorities as required under Section 9(3) of National Commission for Minorities Act, 1992.

The Memorandum for compensation to 1984 rieot victims as required under Section 9(3) of National Commission for Minorities Act, 1992.

The 30th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1996-97 as required under Section 69(5)(a) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will also lay the papers on the Table of the House.

Finance Minister (Shri Charan Dass) Sir, I beg to lay on the Table :

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1996-97 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 1996-97 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1997 No.3 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1997 No.2 (Commercial) of the Government of Haryana in Pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(i) श्री भजन लाल, भूतपूर्व एम०एल०ए० (अब सांसद) के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Narpender Singh, Chairperson of Committee of Privileges will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against Shri Bhajan Lal, Ex-M.L.A. (Now M.P.) and Former Leader of the Congress Legislature Party, who made a press statement in the press lobby/lounge in the Vidhan Sabha casting serious

[Mr. Speaker]
reflection on the conduct and impartiality of the Chair i.e. Hon'ble Speaker, Prof. Chhattar Singh Chauhan, and using very derogatory remarks against him wilfully and deliberately with a malicious motive in order to lower down the dignity of the Chair as published in the Indian Express on 22-11-1996 and he will also move the motion for extension of time for the presentation of final report to the House upto the first sitting of the next Session.

Chairperson, Committee of privileges (Shri Narpender Singh) : Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against Shri Bhajan Lal, Ex-M.L.A. (Now M.P.) and Former Leader of the Congress Legislature Party, who made a press statement in the press lobby/lounge in the Vidhan Sabha casting serious reflection on the conduct and impartiality of the Chair i.e. Hon'ble Speaker, Prof Chhattar Singh Chauhan, and using very derogatory remarks against him wilfully and diliberately with a malicious motive in order to lower down the dignity of the Chair as published in the Indian Express on 22-11-1996.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता, सम्पादक प्रकाशक, तथा मुद्रक के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Narpender Singh, Chairperson of Committee of Privileges will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri jagan Nath, Minister against the Correspondent, Editor, Publisher and Printer of the Indian Express for publishing the statement of Shri Bhajan Lal, Ex-M.L.A. (Now M.P.) containing derogatory remarks which cast serious aspersions on the impartiality, character and conduct of the Chair in discharge of his parliamentary duties on the floor of the House as this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public in the issue of Indian Express dated 22-11-1996. He will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final Report to the House upto the first sitting of the next Session.

Chairperson, Committee of Privileges (Shri Narpender Singh) : Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against the Correspondent, Editor, publisher and Printer of the Indian Express, for publishing the statement of Shri, Bhajan Lal, Ex-M.L.A. (Now M.P.) containing derogatory remarks which cast serious aspersions on the impartility , character and conduct of the Chair in discharge of his parliamentary duties on the floor of the House as this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public in the issue of Indian Express dated 22-11-1996.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

वर्ष 1993-94 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे प्रस्तुत करना

Finance Minister (Shri Charan Dass) : Sir, I beg to present the excess demands over grants and appropriations for the year 1993-94.

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष : आज साढ़े चार बजे वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जायेगा इसलिए यह सदन 4.21 बजे सायं से 4.29 बजे सायं तक स्थगित किया जाता है।

(The Sabha then adjourned and re-assembled at 4.29 P.M.)

वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will present the budget for the year 1998-99.

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : अध्यक्ष महोदय ....

वाक आऊट

Shri Om Parkash Chautala : Mr. Speaker, Sir, on a point of order. (Noise)

Mr. Speaker : Mr. Om Parkash Chautala, Please take your seat. (Noise).

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई प्रजातंत्र नहीं है। (शोर) कम से कम आप हमारी बात तो सुनिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। (शोर) सारा स्टेट हमें देख रहा है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब हम जाए। (शोर)

Mr. Speaker : Mr. Om Parkash Chautala, I warn you. Please take your seat. (Noise & Interruptions) Please take your seat, otherwise, I will have to name you.

Shri Sampat Singh : It means you are already prepared. (Noise & interruptions). what was the need of calling the Session, Sir.

Mr. Speaker : Mr. Sampat Singh, take your seat. (Noise & Interruptions). I warn you, Sampat Singh.

Capt. Ajay Singh Yadav : Speaker, Sir, on a point of order.... (Noise)

Mr. Speaker : Capt. Ajay Singh Ji, please take your seat, (Noise) I warn you.

Shri Sampat Singh : Sir (Interruptions)

Mr. Speaker : Mr. Sampat Singh, please take your seat, otherwise, I will have to name you. (Noise & Interruptions).

Shri Sampat Singh : Sir (Interruptions).

Mr. Speaker : Mr. Sampat Singh, I warn you. (Noise & Interruptions) This is the last warning. I request you to take your seat. (Noise) Otherwise I will have to name you. (Noise & Interruptions). This is not the way. (Noise & Interruptions).

A Voice : If you do not permit us to speak then as a protest we stage a walk out.

(At this stage all the members of Haryana Lok Dal (Rastriya) present in the House staged a walk out).

वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)

श्री चरण दास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन के सामने वर्ष 1998-99 के बजट अनुमान पेश करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि राज्य सरकार ने इस सदन में चालू वर्ष के प्रथम 4 मास के आवश्यक खर्चों को चलाने के लिए **'लेखा अनुदान'** प्राप्त करने हेतु एक अन्तरिम बजट पेश किया था। अब राज्य सरकार का वर्ष 1998-99 का पूर्ण बजट इस गरिमामय सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1997-98 का **आर्थिक सर्वेक्षण**, जो कि पिछले सत्र के दौरान इस सदन के पटल पर रखा गया था, के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था, संसाधनों में काफी कमी के बावजूद, सरकार के अथक प्रयासों एवं रचनात्मक सोच के कारण सुदृढ़ होकर उभरी है। राज्य सरकार का संसाधन आधार आबकारी नीति में पुनर्विचार के बाद और सुदृढ़ हो गया है जैसाकि आपको विदित ही है कि पिछले कई सप्ताहों से राष्ट्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई कुछ गतिविधियों ने राष्ट्र एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के सामने नई आर्थिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, परन्तु राज्य सरकार लोगों के सहयोग से इन चुनौतियों का सामना करने में पूर्ण रूप से सक्षम है।

वार्षिक योजना, 1997-98

अब मैं माननीय सदस्यों के समक्ष वार्षिक योजना 1997-98 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि संसाधनों व बाह्य सहायता की कमी के बावजूद बहुत ही उत्साहवर्धक एवं प्रभावशाली रही है। संसाधनों में कमी के बावजूद योजना आयोग ने वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना 1576.04 करोड़

रुपये की अनुमोदित की थी, जिसे बाद में केन्द्रीय सहायता में कमी के कारण एवं अतिरिक्त गैर-योजना खर्च जैसे कि चीनी मिलों को 21.03 करोड़ रुपये की सहायता देने, नगरपालिकाओं को अनुदान देने, किसान पास बुक तैयार करने, नए राशन कार्ड बनाने, स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करने, पेंशनभोगियों की अतिरिक्त देयता एवं पुलिस विभाग पर अतिरिक्त खर्चे के कारण संशोधित करके 1400 करोड़ रुपये कर दिया गया। इन सभी खर्चों के बावजूद वार्षिक योजना की प्रगति 91 प्रतिशत रही जो कि एक सन्तोष का विषय है।

राज्य सरकार ने बजट अनुमान 1998-99 में जनता के प्रति अपनी विकास की प्रतिबद्धता को निभाने का पूरा ध्यान रखा है। इसलिए प्रति वर्ष 1998-99 की वार्षिक योजना का लक्ष्य 2260 करोड़ रुपये का रखा जोकि आज तक की सबसे बड़ी योजना है और यह वर्ष 1997-98 के 1400 करोड़ रुपये के मुकाबले 61 प्रतिशत अधिक है, हालांकि राज्य के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की पद्धति पर वेतनभत्ता देने से राज्यकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इतना अधिक योजना लक्ष्य इसलिए रखा गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, मुख्यतः इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों जैसे कि बिजली, सिंचाई, कृषि, समाज सेवाएं, परिवहन व सड़कें इत्यादि के विकास में तेज़ी लाई जा सके।

बिजली के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए 505 करोड़ रुपये के योजना खर्च का प्रावधान किया गया है जो कि कुल योजना खर्च का 22.3 प्रतिशत है। सिंचाई क्षेत्र के लिए 550.81 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है जोकि कुल योजना का 24.4 प्रतिशत है। इसमें विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही **जल संसाधन समेकन परियोजना** के लिए 350 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। परिवहन क्षेत्र जिसमें सड़कों व पुलों का निर्माण तथा राज्य में परिवहन सेवाओं का विस्तार शामिल है, के लिए 190.61 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है, जो कि कुल परिव्यय का 8.4 प्रतिशत है। विश्व-बैंक की सहायता प्राप्त **हरियाणा हाईवे सुधार परियोजना** के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है।

राज्य के मेवात एवं शिवालिक के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और इनके लिए विभागीय सामान्य विकास गतिविधियों के अलावा 18.44 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। पहले की तरह ही राज्य में समाज सेवाओं के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन विकलांग व निराश्रित लोगों को पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 114.38 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। सामान्य शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के लिए 221.73 करोड़ रुपये के योजना खर्च का प्रावधान है। समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने के लिए **अपनी बेटी, अपना धन** योजना के लिए 14.74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर का सुधार, विकास एवं आधुनिकीकरण: राज्य की चिन्ता का मुख्य विषय

(i) बिजली

राज्य सरकार लोगों को बिजली की सुनिश्चित सप्लाई की समस्या के बारे में पूरी तरह सजग है और इसका समाधान करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए गये हैं। राज्य सरकार सभी उपभोक्ताओं को वर्ष 2000 तक 24 घंटे तथा कृषि नलकूपों को लगातार 8 घंटे अच्छी वोल्टेज की एवं बिना बाधा के सुनिश्चित बिजली सप्लाई करने के लिए कृतसंकल्प है। राज्य का इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को वर्ष 1998-99 में 899.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

[श्री चरण दास]

सरकार ने 10 मार्च, 1998 को **हरियाणा राज्य बिजली सुधार अधिनियम** की अधिसूचना जारी करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा राज्य बिजली क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम लागू करने में देश का अग्रणी राज्य है। राज्य में बिजली पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हमने विश्व बैंक से ऋण की एक बड़ी राशि प्राप्त करने बारे सफलतापूर्वक बातचीत की है। यह ऋण देश के किसी भी राज्य को बिजली सुधारीकरण के लिए दिए गए ऋण से अधिक है। इसका उद्देश्य बेहतर प्रबन्धन द्वारा बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इससे औद्योगिक व कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए बिजली मिलेगी और सरकारी वित्तीय सहायता की निर्भरता पर रोक लगेगी। विश्व बैंक ने कुल 2400 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है, जिसमें से 240 करोड़ रुपये के प्रथम ऋण की स्वीकृति राज्य को प्राप्त हो गई है। विश्व बैंक के ऋण से विभिन्न क्षमताओं के 86 नए सब-स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा एवं 73 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 68,000 कि०मी०नई लाइनें भी बिछाई जाएंगी तथा 30,000 कि०मी० मौजूदा लाइनों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। लगभग एक हज़ार करोड़ रुपये के ऋण की दूसरी किश्त के बारे में विश्व बैंक के साथ बातचीत जारी है और यह इस वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही तक मिलने की सम्भावना है।

राज्य में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने भारत सरकार से गैस पर आधारित 432 मैगावाट क्षमता वाला एक बिजली उत्पादन संयन्त्र मंजूर करवाया है। एन०टी०पी०सी० द्वारा स्थापित की जा रही यह परियोजना पूर्ण रूप से हरियाणा के लिए है। इसकी दो इकाइयों जिनकी क्षमता 146 मैगावाट प्रति इकाई है, से जून, 99 तक राज्य को बिजली उपलब्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने पानीपत थर्मल प्लांट की 1 से 4 इकाइयों के आधुनिकीकरण, नवीकरण व उन्नयन का कार्य शुरू किया है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 2000 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली राज्य को प्राप्त होगी तथा इस पर कुल 297 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है। बिजली बोर्ड ने पानीपत में 210 मैगावाट की छठी इकाई पर भी कार्य शुरू कर दिया है, जिसके लिए पावर फायनेंस कार्पोरेशन से ऋण प्राप्त किया गया है। इस परियोजना पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है और यह कार्य मार्च, 2000 तक पूरा होने की सम्भावना है।

राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को रियायती दरों पर बिजली देने के लिए कृतसंकल्प है। अतः चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि नलकूपों के लिए बिजली आपूर्ति पर लगभग 700 करोड़ रुपये से अधिक की सबसिडी दी जाएगी, जिसमें से सरकार द्वारा 364 करोड़ रुपये नकद सबसिडी के रूप में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को दिये जाएंगे।

(ii) सड़क व्यवस्था

राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने एवं सुधार करने व नई सड़कों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष 1998-99 के दौरान 2600 किलोमीटर की दूरी तक वर्तमान सड़कों के रख-रखाव व सुधार करने तथा नई सड़कों के निर्माण पर 245.41 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है, जिसमें से 151.03 करोड़ रुपये 2470 किलोमीटर लम्बी मौजूदा सड़कों के रख-रखाव व उनकी मरम्मत करने तथा 94.38 करोड़ रुपये 130 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों व 16 पुलों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे।

यातायात में हो रही वृद्धि के कारण राज्य के राजमार्गों का सुधार करना अति आवश्यक हो गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के 627 किलोमीटर लम्बे राजमार्गों के सुधार तथा शेष राजमार्गों के रख-

रखाव के लिए विश्व बैंक से 1408 करोड़ रुपये के कर्ज़े के बारे में बातचीत की है। 52.65 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण, 216 किलोमीटर लम्बी मौजूदा सड़कों के सुधार एवं 5 नए पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड से 11.92 करोड़ रुपये की ऋण सहायता ली है।

सांपला के बाई-पास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा नारनौल, ऐलनाबाद, हिसार, जीन्द, सोनीपत और झज्जर के लिए 6 नए बाई पास स्वीकृत किए गए हैं।

(iii) सिंचाई सुविधाएं

अच्छी कृषि पैदावार के लिए सिंचाई सुविधाओं के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई का विस्तार काफ़ी हद तक पंजाब क्षेत्र में सतलुज-यमुना लिंक नहर के पूर्ण होने पर निर्भर करता है। इसलिए राज्य सरकार इसे शीघ्र पूरा करवाने के लिए केन्द्र सरकार पर निरन्तर दबाव डाल रही है।

पूर्ववर्ती स्कीमों के सफल कार्यान्वयन से प्रेरित होकर विश्व बैंक ने हरियाणा को 1858 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जल संसाधन समेकन परियोजना के लिए प्रदान की है, जोकि भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस परियोजना में नहरी व्यवस्था का सुधार, नहरों का आधुनिकीकरण, हथनीकुण्ड बैराज का निर्माण एवं उप-सतही जल निकास प्रणाली पर आधारित पायलट योजनाएं शामिल हैं। हथनीकुण्ड बैराज का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और यह कार्य जून, 1999 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

भाखड़ा मुख्य नहर एवं नरवाना शाखा की क्षमता को बहाल करने के लिए जलमार्गों की क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार ने 2.50 करोड़ रुपये की राशि पंजाब सरकार को दी है। इससे हरियाणा को लगभग 1000 क्यूसेक अतिरिक्त जल प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए हैं जिसके लिए नाबार्ड ने विभिन्न बाढ़ राहत कार्यों के लिए आर०आई०डी०एफ० III के अंतर्गत 56.60 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

राज्य में उठान सिंचाई प्रणाली में लगे पम्प खस्ता हालत में थे। इन पम्पों की मरम्मत करने तथा वर्तमान जलमार्गों से घासपात तथा गाद निकालने के फलस्वरूप वर्ष 1997-98 के दौरान 21.93 लाख हैक्टेयर भूमि की रिकार्ड सिंचाई की गई। सिंचित क्षेत्र में 2.43 लाख हेक्टेयर की वृद्धि होने से हरियाणा के किसानों को अत्याधिक लाभ होगा।

विभिन्न सिंचाई अधीन क्षेत्रों जैसे कि भाखड़ा व पश्चिमी यमुना नहर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के सुधार की कई योजनाएं स्वीकृत होने पर भी एक दशक से अधिक समय से लम्बित पड़ी थीं। इसके लिए नाबार्ड ने 61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता आर०आई०डी०एफ०-II के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई है और इनमें से बहुत सी योजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है। वार्षिक योजना 1998-99 में सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण की विभिन्न योजनाओं के लिए 550.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(iv) जन स्वास्थ्य

राज्य सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल सप्लाई सुविधाएं तथा उचित जल निकास प्रणाली उपलब्ध करवाने के प्रति सचेत है।

[श्री चरण दास]

वर्ष 1998-99 में, 550 गांवों में जल-आपूर्ति 40/55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए राज्य की वार्षिक योजना में 27.50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं तथा अन्य 16 करोड़ रुपये भारत सरकार से मिलने की आशा है। वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य सरकार मरुस्थलीय क्षेत्र में आने वाले गांवों के लिए 70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल-आपूर्ति बढ़ाने के कार्य में लगी है। इसके अतिरिक्त 100 गांवों में 9.90 करोड़ रुपये की लागत से जल-आपूर्ति को सुधारने का प्रस्ताव है। राज्य में 405 ऐसे गांव हैं, जिनकी जनसंख्या 5000 से ज्यादा है और जिनकी तुलना छोटी नगरपालिकाओं या अधिसूचित क्षेत्र समितियों से की जा सकती है, में राज्य सरकार द्वारा जल-आपूर्ति बढ़ाकर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 110 लिटर करने के लिए एक योजना शुरू की गयी है, जिससे इन गांवों में उचित मल निकास प्रणाली प्रदान करने में सुविधा होगी तथा इन गांवों को वास्तव में कस्बों के बराबर लाया जा सकेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को कम किया जा सकेगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान इन स्कीमों के लिए 4.5 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। राज्य सरकार ने 100 या उससे अधिक आबादी वाली ढाणियों में भी स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कार्य शुरू किया है। चालू वित्त वर्ष में शेष 60 ढाणियों में भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है।

शहरी त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम, जोकि भारत सरकार तथा राज्य सरकार की बराबर-बराबर आर्थिक सहायता से चलाया जा रहा है, के अन्तर्गत 7 कस्बों, सोहना, पटौदी, नारनौंद, कनीना, तावडू, भवानी खेड़ा व खरखौदा में कार्य अनुमोदित किये हैं। इस कार्यक्रम पर 7.50 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इनमें से चार कस्बों सोहना, पटौदी, नारनौंद व कनीना में निर्माण कार्य पूरा होने के अन्तिम चरण में है। वर्ष 1998-99 में शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति बढ़ाने पर 13.90 करोड़ रुपये व मल निकास सुविधाओं को सुधारने पर 4.47 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

232.20 करोड़ रुपये की लागत की यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत राज्य के 12 नगरों में मल परिशोधन संयंत्र स्थापित करने का कार्य तेज़ी से चल रहा है ताकि इन नगरों की सफाई व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। इस योजना पर गत वित्त वर्ष के अन्त तक 157 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान जन-स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनागत व ग़ैर योजनागत स्कीमों पर 304 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

कृषि व सम्बद्ध कार्य

हरियाणा के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है इसलिए राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं में कृषि का प्रमुख स्थान है।

लगातार हो रही वैज्ञानिक शोध, समय पर बीज, खाद व कीट नाशक दवाइयों की व्यवस्था, सुलभ कृषि ऋण व्यवस्था, अग्रिम आपदा राहत योजना व हरियाणा के किसानों के मेहनती स्वभाव के कारण राज्य में वर्ष 1997-98 में 111.57 लाख टन खाद्यान्नों तथा 5.40 लाख टन तिलहनों की पैदावार हुई, हालांकि अक्तूबर, नवम्बर व दिसम्बर 1997 में बार-बार व असामयिक वर्षा हुई थी।

राज्य सरकार ने कुछ पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किये हैं जैसे कि अम्बाला, पंचकूला तथा यमुनानगर ज़िलों के अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत वाटरशैड विकास परियोजना (कौंडी क्षेत्र) तथा मशीनी तकनीक से समतल एवं उपसतही जल निकास प्रणाली

विकसित करके सेमग्रस्त व लवणीय भूमि का सुधार करने के लिए चलाई जा रही इण्डो-डच आप्रेशन पायलट परियोजना। कृषि शिक्षा की सार्थकता और गुणवत्ता को सुधारने तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने 53.74 करोड़ रुपये की लागत से कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना शुरू की है।

आसानी से कृषि ऋण मिलने से किसानों की कृषि पैदावार के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीके अपनाने की क्षमता बढ़ी है। राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान किसानों को आसान एवं रियायती दरों पर 1267.20 करोड़ रुपये के रिकार्ड ऋण उपलब्ध करवाये जबकि गत वर्ष में 1135.62 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए थे।

कृषि उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य सरकार और इसकी खरीद एजेंसियों ने केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार के लिए चालू रबी मौसम के दौरान 31.45 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की रिकार्ड खरीद की है।

बागवानी विकास कृषि से सम्बद्ध कार्य है, जिसके लिए राज्य ने विभिन्न कार्यों जैसे पुष्प उत्पादन, खुम्बी विकास, रेशम उत्पादन, किन्नु, माल्टा तथा अंगूर के लिए विपणन व्यवस्था, कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग को बढ़ावा देने व कृषि मानव संसाधन विकास की गतिविधियों के लिए 1998-99 की वार्षिक योजना के लिए 2.89 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं।

कृषि क्षेत्र, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन तथा पशुपालन से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। लोगों को निरन्तर आय के साधन उपलब्ध करवाने के लिए यूरोपियन यूनियन से सहायता प्राप्त अरावली पहाड़ियों में शामलात भूमि सुधार परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 के अन्त तक 37,050 हैक्टेयर पंचायती भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। पंचायती भूमि पर वृक्षारोपण करने व मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से यूरोपियन संघ की सहायता से एक अन्य योजना हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना राज्य में क्रियान्वित की जाएगी। 126 करोड़ रुपये के परिव्यय की यह परियोजना 9 वर्षों तक चलेगी। वर्ष 1998-99 में वृक्षारोपण एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 51.10 करोड़ रुपये के योजनागत खर्च का प्रावधान किया गया है।

आय के साधन बढ़ाने, रोजगार के अवसर जुटाने तथा लोगों के पोषाहार स्तर को ऊँचा उठाने में पशुपालन का हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1998-99 के दौरान नई पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों और स्टॉक मैन केन्द्र खोलने तथा भैंस, भेड़ और ऊन विकास तथा पशु आहार व चारा विकास इत्यादि विभिन्न योजनागत स्कीमों पर 14.41 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके लिए चालू वित्त वर्ष के लिए 4.35 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव है। वर्ष 1998-99 में राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की योजनागत एवं गैर-योजनागत स्कीमों पर 351.43 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है, जबकि 1997-98 में इन योजनाओं पर 224.54 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

सहकारी आन्दोलन : लोगों की भागीदारी से आर्थिक विकास

हरियाणा के गठन के बाद सहकारी आन्दोलन ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में सहकारी समितियों की सदस्यता वर्ष 1966-67 में 9.23 लाख से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 48.11 लाख हो गई।

[श्री चरण दास]

गत वर्ष के 1135.62 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1997-98 में 1267.20 करोड़ रुपये के फसली ऋण प्रदान किये गये। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने कृषि ऋणों पर ब्याज की दर 2 प्रतिशत कम करके उसे 16 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर दिया, जिससे किसानों को 30 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। पिराई मौसम 1997-98 के लिए कार्यगत पूंजी के रूप में 10 सहकारी चीनी मिलों को 218 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई। वर्ष 1998-99 के दौरान किसानों को 1700 करोड़ रुपये के कृषि ऋण तथा 600 करोड़ रुपये के अन्य ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव है।

राज्य में 10 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनकी कुल दैनिक पिराई क्षमता 19550 टन है। पिराई मौसम 1997-98 के दौरान इन मिलों ने 220.32 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की तथा 20.44 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया। सभी चीनी मिलों ने समय पर पिराई शुरू कर दी थी तथा पिराई मौसम 1997-98 के दौरान चीनी प्राप्ति 9.30 प्रतिशत रही जबकि गत वर्ष यह प्राप्ति 8.8 प्रतिशत थी।

औद्योगिक विकास : नये कीर्तिमान

हरियाणा ने गत कुछ दशकों से भारत के सामाजिक व आर्थिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहां पर सड़क व रेल व्यवस्था, पानी व बिजली की उपलभ्यता, सुविकसित औद्योगिक सम्पदाएं, सुव्यवस्थित बैंक सेवा सुविधाएं, विश्वसनीय संचार व्यवस्था, आधुनिक तकनीकी संस्थाएं व दिल्ली की समीपता के कारण विकसित वाणिज्यिक बाजार आदि आकर्षक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास नीति में आधुनिक औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया गया है। औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति प्रदान की गई है। 50 करोड़ रुपये व इससे अधिक निवेश वाली औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ऑफ-द-शैल्फ प्लाट आबंटित करने का प्रावधान किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत प्लाट आबंटन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। औद्योगिक सम्पदाओं के रख-रखाव के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

राज्य सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति बनाई है जिसका उद्देश्य सन्तुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना तथा विशेषकर राज्य के तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विकास की गति को त्वरित करना है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता देते हुए इसके विकास में निजी क्षेत्र की अत्यधिक भागीदारी की नीति अपनाई गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के घरेलू उत्पाद में उद्योगों का हिस्सा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना है।

वर्तमान सरकार ने काफी अर्से से लम्बित पड़ी मानेसर औद्योगिक मण्डल टाऊनशिप परियोजना पुनः हाथ में ली है। इसके लिए 1730 एकड़ भूमि का पहले ही अधिग्रहण कर लिया गया है। इसमें से 100 एकड़ से भी अधिक भूमि मारुति उद्योग लिमिटेड की 40 सहायक इकाइयों को पहले ही आबंटित कर दी गई है। यह एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है और इसकी स्थापना पर लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें भारतीय व विदेशी कम्पनियों द्वारा उच्च प्रौद्योगिकीय और दूसरे उद्योग स्थापित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने बावल में 186 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया है। इस औद्योगिक सम्पदा के अधीन लगभग 1200 एकड़ भूमि है। प्रथम चरण में लगभग 400 एकड़ भूमि का विकास किया जा रहा है। दूसरे चरण में 800 एकड़ भूमि का विकास करने का कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। आगामी तीन वर्षों में इसमें 125 करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है। 107 एकड़

भूमि पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क का विकास कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत लगभग 450 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है। आगामी तीन वर्षों में इस परियोजना में 75 से 80 करोड़ रुपये का निवेश होने की आशा है। साहा (जिला अम्बाला) में 1000 एकड़ क्षेत्र में एक विकास केन्द्र की स्थापना की जा रही है। लगभग 400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। भारत सरकार ने इस परियोजना की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसका विकास दो चरणों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गन्नौर के समीप बढ़ी में 500 एकड़ भूमि पर औद्योगिक केन्द्र विकसित करने की योजना बनाई गई है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत लगभग 300 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है। इस स्थल पर कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

वर्ष 1997-98 में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 120.73 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए और 72.75 करोड़ रुपये के ऋण बांटे। इसी प्रकार हरियाणा वित्त निगम के कुल 176.38 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए और 100.37 करोड़ रुपये के ऋण बांटे।

स्वास्थ्य सेवाएं : आम आदमी के लिए वरदान

राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं 2299 उप केन्द्रों, 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 48 अस्पतालों के माध्यम से जुटाई जा रही हैं। विभाग की नीति स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण करने, बेहतर उपकरण व प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध करवा कर चिकित्सा संस्थाओं का आधुनिकीकरण करने और दवाईयों की मात्रा और रसायनों, एक्स-रे फिल्मों व पट्टियों आदि की आपूर्ति में वृद्धि करने की है।

हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने हैपेटाइटिस-बी के टीके राज्य के प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाने शुरू किए हैं। इसके लिए हैपेटाइटिस-बी वैक्सीन की पाँच लाख खुराकें पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं और इन पर 1.5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

मेवात-क्षेत्र के गाँवों के लोगों को पर्याप्त एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जुटाने के लिए माण्डी खेड़ा, जिला गुड़गाँव में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से 50 बिस्तरों का एक अस्पताल निर्माणाधीन है। यह अस्पताल नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों से सुसज्जित होगा और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा एवं सह- चिकित्सा सम्बन्धी कर्मचारियों को उनकी कार्यकुशलता के विकास के लिए विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, पंचकूला में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। इस परियोजना का कुल बजट-परिव्यय 49.42 करोड़ रुपये है जिसमें से राज्य को अंशदान के रूप में 10 प्रतिशत देना पड़ता है।

उच्च स्तर की परिवार कल्याण और बाल स्वास्थ्य सेवाएं जुटाने के लिए विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से राज्य में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार से प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम है तथा यह कार्यक्रम पांच वर्षों अर्थात् 1997-98 से लेकर वर्ष 2001-2002 तक चलेगा। इस योजना के अन्तर्गत अनुमानित सहायता राशि 131.17 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त जिला भिवानी और फरीदाबाद शहरी क्षेत्र के लिए क्रमशः 6.18 करोड़ रुपये व 7.83 करोड़ रुपये की लागत से उप-परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन उप-परियोजनाओं के लिए

[श्री चरण दास]
लगभग 50 लाख रुपये की लागत की 15 एम्बूलैंस और 3 ऑडियो-विजुअल वैन पहले ही प्राप्त कर ली गई हैं।

राज्य सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को भी प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार का भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की योजनागत स्कीमों पर वर्ष 1998-99 में 3.11 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

वर्ष 1998-99 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की योजनागत एवं गैर योजनागत स्कीमों पर 361.06 करोड़ रुपये खर्च करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है।

परिवहन : जनता की जीवन रेखा

जनता के आवागमन के लिए एक अच्छी परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है।

हरियाणा राज्य परिवहन के पास 31-3-98 की स्थिति के अनुसार 3854 बसें हैं जो 20 डिपुओं और 17 उप-डिपुओं से लगभग 1739 मार्गों पर चलती हैं और प्रतिदिन 11.11 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इनमें प्रतिदिन 13.86 लाख व्यक्ति यात्रा करते हैं।

हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा नियमित रूप से पुरानी बसों की जगह नई बसें खरीदी जाती हैं। विभाग का चालू वर्ष में 466 बसों को बदलने का प्रस्ताव है। वार्षिक योजना 1998-99 में सड़क परिवहन के लिए 48 करोड़ रुपये के परिव्यय को निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

विभाग ने यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने की ओर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 1997-98 में असंध, रतिया, जुलाना, समालखा, अटेली और चरखी दादरी में आधुनिक बस अड्डे आरम्भ किये गए हैं। राजौंद, रोहतक, अम्बाला छावनी और भिवानी में नये बस अड्डे निर्माणाधीन हैं। बलदेव नगर कैम्प, अम्बाला शहर और हथीन में बस अड्डों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और लोहारू, कलायत, बाढ़ड़ा और रादौर में बस अड्डे बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैथल और सढौरा में भी बस अड्डों के निर्माण करने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार ने मैक्सी कैबों के अनधिकृत संचालन को नियमित करने व लोगों को पर्याप्त परिवहन सेवाएं जुटाने के दृष्टिगत राज्य भर में मार्च, 1998 तक 2579 मैक्सी कैबों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट दिए हैं।

ग्रामीण विकास : गरीबी पर सीधा प्रहार

गरीबी उन्मूलन और रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1998 के अन्त तक 10853 लाभानुभोगियों की सहायता के लिए 8.12 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इन कुल सहायता प्राप्त लाभानुभोगियों में से 5243 लाभानुभोगी अनुसूचित जातियों के तथा 4611 महिलाएं हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान इस कार्यक्रम पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के अंशदान से कुल 16.16 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना हैं। हरियाणा राज्य के सभी ज़िलों में ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा) चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मार्च, 98 तक सभी ज़िलों में 553 ग्रुप गठित किए गए हैं, जिनमें 5784 सदस्य हैं।

ज़िला रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ के 10 खण्डों में मरुस्थल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम पर होने वाला खर्च केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें क्रमशः 75 व 25 के अनुपात में वहन करती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि का एकीकृत विकास और नमी संरक्षण, जिसमें भूमि को समतल करना और उसका विकास शामिल है, शुष्क खेती, जल संसाधन विकास, वृक्षारोपण और वाटर शैड पद्धति पर आधारित चरागाह का विकास करके सूखे के प्रकोप को नियन्त्रित करना और पर्यावरण सन्तुलन कायम करना है। रेतीला शुष्क क्षेत्र कार्यक्रम, जो वाटरशैड विकास पद्धति पर आधारित है, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और झज्जर ज़िलों के 35 खण्डों में चलाया जा रहा है। वर्ष 1998-99 में भारत सरकार द्वारा इसके लिए 4.69 करोड़ रुपये का आबंटन करने की सम्भावना है।

ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार एवं कम रोजगार प्राप्त लोगों को लाभदायक रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए जवाहर रोज़गार योजना चलाई जा रही है। इसके लिए वित्त व्यवस्था भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 80 व 20 के अनुपात में की जा रही है। इस योजना के तहत ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरणों को वर्ष 1997-98 में कुल 20.05 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। इन्दिरा आवास योजना के तहत मार्च, 1998 के अन्त तक 4505 मकान बनाए गए और 1231 मकानों का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। दस लाख कुओं की स्कीम के तहत मार्च, 1998 तक 741 कुओं के निर्माण पर 2.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

जब खेतीबाड़ी का काम कम होता है, उस समय लाभदायक रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए सुनिश्चित रोज़गार योजना शुरू की गई है। यह आवश्यकता आधारित योजना है और कुल उपलब्ध राशि में से 50 प्रतिशत का प्रयोग करने के बाद ज़िले के लिए राशि की अगली किश्त का दावा पेश किया जा सकता है। वर्ष 1997-98 में यह योजना सभी खण्डों में लागू कर दी गई। वर्ष 1997-98 में ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरणों को कुल 59.79 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले छोटे एवं सीमान्त किसानों के समूह को या एक किसान को कुओं और नलकूपों की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहली फरवरी, 1997 से गंगा कल्याण योजना शुरू की गई है। प्रत्येक समूह को अधिकतम 40,000 रुपये की सबसिडी दी जाती है। व्यक्तिगत लाभानुभोगी को प्रति एकड़ 5000 रुपये की दर से अधिकतम 12,500 रुपये की सबसिडी दी जाती है। परियोजना लागत व सबसिडी के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति बैंक ऋण से की जाती है।

राज्य सरकार ने वर्ष 1997-98 में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर 152.79 करोड़ रुपये खर्च किये जबकि वर्ष 1998-99 के लिए राज्य सरकार का इन कार्यक्रमों पर 229.64 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है, जिसमें 101.10 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल है, जो केन्द्र सरकार द्वारा सीधी ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दी जानी सम्भावित है।

नागरिक प्रशासन : शहरी जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकायों व सरकार के सतत प्रयासों से शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए स्वच्छ व स्वास्थ्यकर पर्यावरण उपलब्ध करवाना राज्य सरकार के दायित्वों में से एक है।

गन्दी बस्तियों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए शहरी गन्दी बस्तियों में पर्यावरण सुधार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कम लागत की सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति, खुली नालियों का निर्माण, सामुदायिक स्नान घर और शौचालय, गलियों का चौड़ा व पक्का करना,

[श्री चरण दास]

गलियों में रोशनी की व्यवस्था और दूसरी लाभदायक सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण-कार्य किए जाते हैं। छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों में अधिक निवेश करके बड़े शहरों में जनसंख्या के दबाव को कम करने के उद्देश्य से छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास करने की एक और योजना शुरू की गई है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि राज्य में फरीदाबाद में ही एकमात्र नगर निगम की स्थापना की गई है। इस नगर निगम ने 1997-98 में विभिन्न विकास कार्यों पर 8.05 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। निगम वर्ष 1998-99 में शहरी विकास प्राधिकरण व राज्य सरकार के सहयोग से रैनी वैल नाम की जल आपूर्ति की एक विशाल परियोजना पर कार्य शुरू करने जा रहा है। रैनी वैल स्कीम एक जल आपूर्ति संवर्धन परियोजना है और इसकी लागत 40 करोड़ रुपये है। इसकी लागत का खर्च नगर निगम, फरीदाबाद, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 50,40 व 10 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस स्कीम के तहत नगर को प्रतिदिन 90 लाख गैलन अतिरिक्त पानी मिलेगा।

फरीदाबाद नगर में यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत 72.02 करोड़ रुपये की लागत से शहरी मल निकास प्रणाली पर कार्य शुरू किया गया है।

सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के अनेकों कार्यक्रम शुरू किये हैं। शहरी लघु उद्यम योजना, जो कि नेहरू रोजगार योजना का एक उपघटक है, शहरी बेरोज़गार युवकों को निजी लघु रोज़गार स्थापित करने के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता एवं सबसिडी उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है। सामान्य वर्ग के लाभानुभोगियों को 4000 रुपये की और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को 5000 रुपये की सबसिडी उपलब्ध करवाई जाती है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लाभानुभोगियों के लिए ऋण राशि 15000 रुपये है, जबकि सामान्य वर्ग के लाभानुभोगियों के लिए राशि 12000 रुपये है। नेहरू रोज़गार योजना का एक अन्य उपघटक शहरी दिहाड़ी रोज़गार योजना है। इस योजना के अन्तर्गत गरीब बेरोज़गार युवकों को दिहाड़ी पर रोज़गार उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके तहत उनको सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी व टिकाऊ जन परिसम्पत्तियों, जैसे सस्ती जल आपूर्ति, सस्ती सफाई व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, जल निकास, गलियाँ पक्की करना, सामुदायिक सुविधाएं तथा सामुदायिक केन्द्र व पार्क इत्यादि के निर्माण कार्य पर लगाया जाता है।

नेहरू रोज़गार योजना, यू०बी०एस०पी० और पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी०, इन तीन योजनाओं के स्थान पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक नई योजना स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना पहली दिसम्बर, 1997 से शुरू की गई है। इस नई योजना के अन्तर्गत शहरी बेरोज़गारों या कम रोज़गार प्राप्त व्यक्तियों को स्व-रोज़गार या दिहाड़ी पर रोज़गार दिया जा रहा है। वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न योजना एवं गैर योजनागत स्कीमों के लिए 51.60 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

सभी के लिए शिक्षा

स्कूली सुविधाओं का विस्तार तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार करके प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने पर सरकार ने विशेष बल दिया है।

राज्य सरकार, शैक्षणिक पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करके, शिक्षा का सतत व व्यापक मूल्यांकन करके और स्कूली गतिविधियों में अभिभावकों को संलिप्त करके स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है।

स्कूलों में नैतिक मूल्यों पर आधारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। इस कार्य के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शिक्षा अधिकारियों तथा संस्थानों के प्रमुखों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

स्थानीय निकायों के सक्रिय सहयोग से 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने के लिए विशेष दाखिला अभियान शुरू किया गया है। चालू वर्ष 1998-99 के लिए 26.52 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1000 राजकीय प्राथमिक स्कूल, अधिकांशतः लड़कियों के लिए, खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कूलों में अतिरिक्त दाखिलों के लिए जे०बी०टी० अध्यापकों के 5000 पद, जिसमें 2000 पद राजकीय प्राथमिक स्कूलों के लिए हैं, सृजत किये गये हैं। सरकार द्वारा जिला गुड़गांव के मेवात-क्षेत्र के लिए अध्यापकों के 500 नये पद स्वीकृत करना सरकार का एक अन्य ऐतिहासिक कदम है। यहां एक विशेष दाखिला अभियान चला कर वर्ष 1997-98 के दौरान स्कूलों में 35000 बच्चों का दाखिला करवाया गया।

बच्चों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों की लड़कियों को स्कूल में दाखिल करवाने तथा उन्हें स्कूल में बनाये रखने के लिए निःशुल्क वर्दी, उपस्थिति पुरस्कार, निःशुल्क लेखन-सामग्री, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा विशेष उपस्थिति भत्ते के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। इन योजनाओं के तहत वर्ष 1998-99 के दौरान 4.13 करोड़ रुपये के उपबन्ध का प्रस्ताव है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम ज़िला प्राथमिक शिक्षा परियोजना, जिसे पहले केवल कैथल, जींद, हिसार तथा सिरसा जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा था, का विस्तार तीन अन्य जिलों नामतः गुड़गाँव, महेन्द्रगढ़ और भिवानी में भी किया गया है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य शत-प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित करना, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर को 10 प्रतिशत से कम करना तथा कक्षाओं में बच्चों की कार्यकुशलता को 20 प्रतिशत से अधिक करना है।

राज्य द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य द्वारा 112 प्राथमिक विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर इन्हें माध्यमिक स्तर का, 120 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालय स्तर का और 143 उच्च विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर का बनाया गया है।

हरियाणा राज्य ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार किया है। वर्ष 1998-99 के दौरान सांपला में महिला महाविद्यालय और सिवानी में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा राजकीय महाविद्यालय हिसार में लड़कियों की शाखा को अलग से महाविद्यालय के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है। नारनौल में एक शिक्षण महाविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है।

शिक्षा प्रणाली को रोज़गारोन्मुखी बनाने के दृष्टिगत औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां अत्यन्त उल्लेखनीय हैं। इन संस्थानों की संख्या वर्ष 1966 में 48 से बढ़कर 1998 में 185 हो गई है।

चालू वित्त वर्ष में 40 नये व्यावसायिक शिक्षा संस्थान तथा सिरसा, फतेहाबाद और कलानौर में तीन नये आई०टी०आई० खोलने, आई०टी०आई० की 12 "गैस्ट क्लासिज़" का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण आई०टी०आई० का दर्जा देने तथा 26 आई०टी०आई० (महिला शाखाओं) को पूर्ण आई०टी०आई० (महिला) बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1998-99 के लिए इस विभाग के लिए 20.87 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना का प्रस्ताव है।

[श्री चरण दास]

तकनीकी शिक्षा विभाग ने टैक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराये हैं ताकि उद्योगों एवं एजेंसियों की तकनीकी कामगारों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। लोहारू में भी एक राजकीय बहुतकनीकी संस्थान शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है।

वर्ष 1998-99 के बजट प्रस्तावों में शिक्षा क्षेत्र पर 1405.36 करोड़ रुपये के कुल योजनागत तथा गैर-योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव है, जिसमें से 552.24 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर, 529.57 करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षा पर, 208.14 करोड़ रुपये उच्चतर शिक्षा पर और 115.41 करोड़ रुपये कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा सेवाओं पर खर्च किये जाएंगे।

वाक आउट

वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण पढ़ने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्यगण, निर्दलीय सदस्यगण-सर्वश्री रेलू राम व देवराज दीवान, एस०वाई०एल० नहर परियोजना के विषय में कुछ भी उल्लेख न किए जाने के विरोध में सदन से वाक आउट कर गए।

सदस्य का नाम लेना

प्रतिपक्ष के सदस्य, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वित्तमंत्री के बजट भाषण में यह कहते हुए कि बजट किसानों के विरूद्ध है तथा इसे सदन में प्रस्तुत न किया जाए, बार-बार बाधा डाली। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अपना स्थान ग्रहण करने के लिये कई बार चेतावनी दी परन्तु अध्यक्ष महोदय की इस सलाह का श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पालन नहीं किया और वह वित्त मंत्री के भाषण में निरन्तर बाधा डालते रहे। तब अध्यक्ष महोदय ने श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम लिया और उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा, जिसका उन्होंने पालन किया।

वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री चरण दास) : अध्यक्ष महोदय,

समाज कल्याणः अभावग्रस्त व्यक्तियों का आश्रय

राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों व समाज के अभावग्रस्त वर्गों, जैसे कि अनाथ, निराश्रित बच्चों, परित्यक्त और बेसहारा महिलाओं और उनके आश्रितों आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा की अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं।

वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन स्कीम के तहत 10 लाख से अधिक लाभानुभोगियों को प्रत्येक मास की 7 तारीख तक पेंशन दे दी जाती है। चालू वित्त वर्ष में इस प्रयोजन के लिए 121.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो कि वर्ष 1997-98 के वास्तविक खर्च से 7 करोड़ रुपये अधिक है।

विकलांग विद्यार्थियों को प्रतिमास 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की छात्रवृतियां दी जाती हैं। शिक्षित और विकलांग व्यक्तियों को बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जाता है।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इन समुदायों के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक स्कीमों का क्रियान्वन करता है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1997-98 के

दौरान 25.32 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई और वर्ष 1998-99 के दौरान 31.77 करोड़ रुपये की राशि के खर्च का प्रस्ताव है।

बच्चों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार का एक मुख्य कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम राज्य के सभी 111 ग्रामीण खण्डों और 5 शहरी खण्डों में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्शी सेवाएं, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, शिक्षा और अनौपचारिक पूर्व-विद्यालय शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों व 15-44 वर्ष की आयु वर्ग की गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं व दूसरी महिलाओं को उक्त सेवाएं 13546 आंगनवाड़ियों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में 2,32,657 गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं और 9,80,151 बच्चों को पूरक पोषाहार दिया गया और इस पर 18.73 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 5,68,411 बच्चों को पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान की गई।

चालू वर्ष में अपनी बेटी अपना धन योजना जारी रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 तक लड़की को जन्म के बाद 1,98,016 माताओं को 500-500 रुपये दिए गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र जन-संख्या गतिविधि निधि से शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त एकीकृत महिला सशक्तिकरण और विकास परियोजना महेन्द्रगढ़ जिले में और रिवाड़ी जिले के 70 गांवों में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। यह परियोजना जिला गुड़गांव के 3 खण्डों- सोहना, नूह और फारूखनगर में भी लागू की गई है और इसके लिए जर्मनी गणराज्य संघ से लगभग 7 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी।

वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में समाज कल्याण क्षेत्र के लिए 270.19 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम और हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग समुदायों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं आरम्भ की गई हैं। वर्ष 1998-99 के लिए हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की अनुसूचित जातियों के परिवारों को 49.47 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है ताकि उनको आय के साधन मुहैया हो सकें। वर्ष 1998-99 के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

पर्यटन : घर से दूर एक आशियाना

हरियाणा पर्यटन आज लगभग राज्य के कोने-कोने में पहुँच गया है। राज्य में राष्ट्रीय और राजमार्गों के साथ-साथ जिला व उपमण्डलीय नगरों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर 44 पर्यटन केन्द्र हैं। हरियाणा पर्यटन की छवि को और अधिक निखारने और पर्यटकों की प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यटन केन्द्रों के आधुनिकीकरण व सुधार का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया गया है। खान-पान व आवास सुविधाओं के आधुनिकीकरण और सुधार की योजनाएं बनाई गई हैं।

वर्ष 1997-98 में राज्य सरकार ने पर्यटन विकास पर 4.03 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और चालू वर्ष में 4.23 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। यह राशि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से मिलेगी। चालू वर्ष में भिवानी, हाँसी, पिहोवा, और राई में नए पर्यटन केन्द्र, हिसार और रोहतक में

[श्री चरण दास]
नये फास्ट फूड केन्द्र, गुड़गांव, रिवाड़ी, रोहतक, मोरनी ओर पिपली में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, पिंजौर, बड़खल, करनाल स्थित ओइसिस व चक्रवर्ती झील, पानीपत, और होडल में कमरों व दूसरी सुविधाओं का नवीकरण और कालेसर में नये पर्यटन केन्द्र का निर्माण आदि कई परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम के माध्यम से पर्यटन विकास की एक नई नीति तैयार की है। इस नीति के तहत निजी उद्यमियों को 33 वर्ष के लिए लाइसेंस पर भूमि दी जाएगी। इस योजना से राज्य में पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा मिलने व राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व संसाधन प्राप्त होने की आशा है।

सरकारी कर्मचारियों का कल्याण : एक उदार दृष्टिकोण

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति अत्यन्त सजग है और वह उन्हें समय-समय पर केन्द्र सरकार की पद्धति पर वेतन और दूसरे लाभ देती रही है। पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के पैटर्न पर संशोधित वेतनमानों के लाभ हरियाणा राज्य के कर्मचारियों को भी 1-1-96 से दिए गये हैं। कर्मचारियों को पहली जनवरी, 1998 से जनवरी मास के वेतन का फरवरी, 1998 में संशोधित वेतनमान के आधार पर नकद भुगतान किया गया है। संशोधित वेतनमानों के फलस्वरूप बकाया राशि सम्बन्धित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करवा दी गई है। संशोधित वेतनमानों के कारण अतिरिक्त देयताओं, जिसमें 1-1-96 से 31-12-97 तक की 1101.15 करोड़ रुपये की बकाया राशि, 1-7-98 तक देय 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किश्तें और वर्ष 1996-97 के लिए बोनस के भुगतान की राशि शामिल है, के लिए 1998-99 के बजट अनुमानों में 1699.14 करोड़ रुपये का प्रावधान है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकार ने पेंशनभोगियों के सम्बन्ध में पांचवें वेतन आयोग की अधिकतर सिफारिशों को मान लिया है। मुझे आशा है कि संशोधित वेतनमान मिलने से कर्मचारी राज्य के कल्याण के लिए और अधिक समर्पण, उत्साह और दृढ़ निश्चय से कार्य करेंगे।

हमारी सरकार ने 1-7-96 से 1-1-98 तक की अवधि में अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की 4 किश्तें दी हैं और 'सी' व 'डी' वर्ग के कर्मचारियों को भारत सरकार की पद्धति पर 1995-96 का बौनस भी दिया है। राज्य सरकार ने वेतनमानों में विसंगतियां दूर करने के लिए उपाय बताने, संशोधित भत्तों पर विचार करने के लिए अधिकारियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमण्डल की एक समिति इसकी सिफारिशों पर विचार कर रही है। हमारी सरकार ने बोर्डों/निगमों/सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर संशोधित करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की है। इस समिति की सिफारिशों पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमण्डल की समिति विचार कर रही है।

बजट अनुमान, 1998-99

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमामय सदन में वर्ष 1998-99 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं।

वित्त वर्ष 1998-99, भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों के अनुसार 35.51 करोड़ रुपये के अधिशेष से शुरू तथा 48.28 करोड़ रुपये के घाटे से बन्द होने की संभावना है। इस प्रकार इस वर्ष के खातों में 83.79 करोड़ रुपये का घाटा होने की संभावना है, जबकि वर्ष 1997-98 के संशोधित

अनुमानों में 109.19 करोड़ रुपये का अधिशेष है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस वर्ष हम 2260 करोड़ रुपये की बड़ी वार्षिक योजना क्रियान्वित कर रहे हैं जो गत वर्ष की 1400 करोड़ रुपये की संशोधित योजना से 61 प्रतिशत अधिक है। हरियाणा उन कुछेक राज्यों में से एक है जिनका चालू राजस्व का बकाया सकारात्मक रहा है। अतः बजट अनुमानों में वर्ष 1998-99 के लिए 227.19 करोड़ रुपये का चालू राजस्व का बकाया सकारात्मक दिखाई देता है।

मैं, माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि आबकारी नीति में संशोधन करने से चालू वित्त वर्ष में 775 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। वर्ष 1997-98 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में कर राजस्व में 48.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था में निहित लचीलेपन, प्रत्याशित वृद्धि और करों की चोरी रोकने व कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाने से राज्य के राजस्व में और वृद्धि होगी। राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां हस्तान्तरित करने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित विशेष कार्यदल की सिफारिशों के फलस्वरूप इसमें और वृद्धि होगी। केन्द्रीय-करों के हस्तान्तरण के स्तर को योजना आयोग के साथ वार्षिक योजना के लिए हुए विचार-विमर्श के अनुरूप रखा गया है। केन्द्र सरकार की विभिन्न युक्तिसंगत योजनाओं की घोषणा के फलस्वरूप केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा और भी बढ़ेगा।

मैं यह दोहराना चाहूंगा कि हमारी सरकार राज्य का तेज़ गति से सन्तुलित विकास करने के लिए कृत संकल्प है। समाज के विभिन्न वर्गों की उचित मांगों को पूरा करना भी हमारा दायित्व है। हमारी सरकार वार्षिक योजना 1998-99 में शामिल सभी विकास कार्यक्रमों को निष्ठा और कर्मठता से क्रियान्वित करने के लिए बचनबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए मैं इस सदन के माननीय सदस्यों तथा हरियाणा की जनता के सहयोग व उनकी सूझबूझ की अपेक्षा करता हूँ।

माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जन-कल्याण-उन्मुखी बजट के आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए मैं ऐसा बजट पेश कर रहा हूँ जिसमें कोई भी नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है एवं जिसके द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

महोदय, अब मैं बजट अनुमान 1998-99 इस गरिमामय सदन के विचारार्थ तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द !

Mr. Speaker : Now the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 22nd July, 1998.

17.22 hrs. (The Sabha than *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 22nd July, 1998)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh
LIBRARY